



## निविदा संख्या: RBI/Dehradun/HRMD/5/25-26/ET/875

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को कॉल के आधार पर वाहन प्रदान करने के लिए कार किराए पर लेने / टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल के लिए प्रतिष्ठित कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगी। इसे संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन 31 मार्च, 2029 (एक समय में एक वर्ष) तक दो (02) वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त पैनल के लिए, निविदाकर्ताओं को ई-टेंडर के संबंध में निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, 17 फरवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे या उससे पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकार ₹64,000/- (केवल चौंसठ हजार रुपये) की वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) के साथ सभी प्रकार से पूर्ण ई-निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी बोलियां एमएसटीसी पोर्टल में 17 फरवरी, 2026 को दोपहर 03:00 बजे खोली जाएंगी। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।

ई-निविदा दस्तावेज को बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) 'निविदा' अनुभाग के तहत और <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित निविदाकर्ता द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण के जवाब में, ई-निविदा दस्तावेज को संशोधन/शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित कर सकता है। ई-निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन (ओं) / शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण को केवल बैंक की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in))/एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर अपलोड किया जाएगा और यह निविदा का हिस्सा होगा और संभावित निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। निविदाकर्ता को इस मामले में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल की जांच करनी चाहिए। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र.सं.	आयोजन	तारीख
1.	निविदा की सूचना का प्रकाशन	20.01.2026
2.	देखने के लिए टेंडर की उपलब्धता	04.02.2026
3.	प्री बिड मीटिंग	11.02.2026 को 11:00 पूर्वाह्न
4.	पूर्ण निविदाओं को स्वीकार करने की अंतिम तिथि	17.02.2026 को 01:00 अपराह्न
5.	तकनीकी बोलियां खोलना	17.02.2026 को 03:00 अपराह्न
6.	वित्तीय बोलियों का उद्घाटन	तकनीकी बोली मूल्यांकन को अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक,  
देहरादून



**शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष / Protocol & Security Cell**  
**भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून / Reserve Bank of India, Dehradun**

**ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को कॉल आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) कॉल के आधार पर वाहन प्रदान करने के लिए कार किराए पर लेने / टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल" के लिए प्रतिष्ठित कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध की अवधि **01 अप्रैल, 2026** से **31 मार्च, 2027** तक होगी। इसे 31 मार्च, 2029 (एक समय में एक वर्ष) तक अधिकतम दो (02) वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जो सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है।

2. ई-टेंडरिंग फॉर्म को वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> या [https://rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewTenders.aspx](https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) से डाउनलोड किया जा सकता है और निविदा के खंड I में उल्लिखित सभी जानकारी/दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

3. ऑनलाइन निविदा देखने/डाउनलोड करने के लिए **20 जनवरी, 2026** को दोपहर **01:00 बजे** से उपलब्ध होगी। निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् भाग-I और भाग-II। निविदा के भाग-I में बैंक की मानक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II में वित्तीय बोली शामिल हैं। निविदा का भाग-II बोलीदाताओं की किसी भी शर्तों के अधीन नहीं होगा। निविदा प्रपत्रों के साथ वित्तीय बोली को 17 फरवरी, 2026 को **01:00 बजे अपराह्न** तक या उससे पहले जमा करना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता/बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

लगाई जानी चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। नियत तारीख और समय के बाद निविदाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। इच्छुक बोलीदाताओं की बोली-पूर्व बैठक (ऑफ-लाइन मोड) **11 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी? निविदा का भाग I को 17 फरवरी, 2026 को **दोपहर 03:00 बजे** खोला जाएगा। पात्र बोलीदाताओं की निविदा का भाग II बाद की तारीख में खोला जाएगा, जिसे बोलीदाताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

4. इस काम पर सालाना लगभग 32 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है (कोविड महामारी की स्थिति के अधीन)। बयाना जमा राशि (ईएमडी) (₹64,000.00) का भुगतान एनईएफटी द्वारा को 17 फरवरी, 2026 को **01:00 बजे अपराह्न तक** किया जाना है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी का भुगतान करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे दिया गया है:

**लाभार्थी का नाम: आरबीआई, देहरादून**

**लाभार्थी खाता संख्या: 186003001**

**आईएफएससी: RBIS0DNPA01 (नोट- कृपया आईएफएससी कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें)**

5. भाग I और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि किसी भी निविदाकर्ता को आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या बैंकर की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-II को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक इसके लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

6. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

7. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल आरबीआई की वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

स्थान: देहरादून

क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई देहरादून

दिनांक: 20 जनवरी, 2026

**निविदा अनुसूची (एसओटी)**

ई-टेंडर नं.	<b>RBI/Dehradun/HRMD/5/25-26/ET/875</b>
a. अनुमानित लागत	₹32 लाख (जीएसटी सहित) वार्षिक
b. निविदा का तरीका	ई-टेंडरिंग सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली के माध्यम से <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a> )
c. पार्टियों द्वारा एनआईटी डाउनलोड करने के लिए उपलब्धता की तिथि	<b>20 जनवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे से</b>
c(2). देखने के लिए टेंडर की उपलब्धता	04.02.2026
d. प्री-बिड मीटिंग	11 फरवरी 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्थान – सम्मेलन कक्ष, आरबीआई, देहरादून
e. बयाना जमा राशि (निविदा दस्तावेज के पैराग्राफ 4 देखें)	एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी का भुगतान करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे दिया गया है: लाभार्थी का नाम: आरबीआई, देहरादून लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0DNPA01 नोट- कृपया IFS कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें
f. ई-टेंडर शुरू होने की तिथि ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करना <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a>	<b>20 जनवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे</b>
f. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, जहां भी लागू हो।	को 17 फरवरी, 2026 को <b>01:00 बजे अपराह्न</b>

h. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि	17 फरवरी, 2026 को <b>01:00 बजे अपराह्न</b>
i. (i) भाग-I के खुलने की तारीख और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) (ii) भाग-II वित्तीय बोली:	(i) 17 फरवरी, 2026 को <b>03:00 बजे अपराह्न</b> (ii) भाग II यानी वित्तीय बोली के खुलने की तारीख अलग से सूचित की जाएगी
लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान।

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, देहरादून ने इच्छुक पार्टियों को अनुबंध की जानकारी देने के लिए यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। यह निविदा इस निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसी जानकारी से संबंधित किसी भी अन्य नियम और शर्तों के अनुसार जारी की गई है।

यह निविदा न तो कोई समझौता है, न ही किसी पार्टी को किसी भी प्रकार का काम करने का निमंत्रण है। इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली जमा करने के लिए बैंक की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता है कि जानकारी संपूर्ण है। इस निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल निविदा में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किया जाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय-सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी प्रतिवादी के साथ निविदा पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

अपनी बोली जमा करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार या किसी भी खाते पर लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई देहरादून

**सारणी**

विवरण	पृष्ठ
ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	1-2
निविदा की अनुसूची (एसओटी)	3
अस्वीकरण	4
विषय-सूची	5
<b>खंड I</b>	
ई-टेंडरिंग प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश	6-10
योग्यता/पूर्व-योग्यता मानदंड	11-12
अनुदेश और अन्य नियम एवं शर्तें	13
प्री-बिड मीटिंग	14
बयाना धन जमा	15
प्रतिभूति जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी	16
<b>खंड II</b>	
कार्य का दायरा, मध्यस्थता, भुगतान संबंधी शर्तें, क्षतिपूर्ति, अनुबंध की समाप्ति, बीमा, प्रचार, आदि।	17-26
<b>खंड III</b>	
प्रस्तावों की जांच	27
निविदा का खोला जाना	28-29
भाग – I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली	30-32
भाग – II – वित्तीय/वित्तीय बोली	33-37
अनुलग्नक I	38
अनुलग्नक II और II-A	39-40
अनुलग्नक III	41
अनुलग्नक IV	42
अनुलग्नक V	43
अनुलग्नक VI	44-47
अनुलग्नक VII	48

## खंड I

### ई-टेंडरिंग प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश

1.	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn">https://www.mstcecommerce.com/eprocn</a> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी होती है
2.	<p><b>सिस्टम आवश्यकताएँ:</b></p> <p>i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम</p> <p>ii) इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 (IE-7) और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।</p> <p>iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र)</p> <p>iv) नवीनतम अद्यतन जावा रनटाइम एनवायरनमेंट (जेआरई) 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में दिखाई देने के लिए DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।</p> <p>• उपकरण = &gt; इंटरनेट विकल्प = &gt; सुरक्षा =&gt; सुरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें।</p> <p>अन्य सेटिंग्स:</p> <p>• उपकरण = &gt; इंटरनेट विकल्प = &gt; सामान्य =&gt; "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = &gt; अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = &gt; "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।</p> <p>सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> से आईई सेटिंग्स चलाएं)</p>

	<p>अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता/आवेदक <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a> पर उपलब्ध विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख कर सकते हैं।</p>
<p>3.</p>	<p><b><u>पंजीकरण:</u></b></p> <p>इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता/आवेदक का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता / आवेदक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेताओं/आवेदकों के पास तृतीय श्रेणी का हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं/आवेदकों को इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/बैंक ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।</p> <p>विशेष नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>1) विक्रेताओं/आवेदकों को <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए नेविगेशन मेनू नीचे दिया गया है: -  <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई का लोगो चुनें → विवरण भरकर और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें → सबमिट करें।</p> <p>2) विक्रेताओं/आवेदकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके द्वारा पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।</p> <p>किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/बैंक से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।</p>

4.

### लेनदेन शुल्क:

विक्रेता/आवेदक विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं/आवेदकों को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता/आवेदक के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता/आवेदक एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता/आवेदक को चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में बदलाव किए बिना भेज देना होगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता/आवेदक के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को लेनदेन शुल्क को सफलतापूर्वक प्रेषित करने के लिए एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

### लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।

एक विक्रेता/आवेदक के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

### ध्यान दें

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें, ताकि बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

निविदा के संबंध में किसी भी शुद्धिपत्र/संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में जानकारी, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और यह इस निविदा का हिस्सा होगा और संभावित निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा। निविदाकर्ता को ई-निविदा के संबंध में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल की जांच करनी चाहिए। विक्रेताओं/आवेदकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

5.

**एमएसटीसी पोर्टल में बोली:**

- a) विक्रेता / आवेदकों को एमएसटीसी पोर्टल में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी कोई ब्याज नहीं देगा और किसी भी परिस्थिति में ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। उन विक्रेताओं का ईएमडी जो तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उन्हें बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध करने के बाद, असफल विक्रेता (विक्रेताओं) का ईएमडी उसके साथ वापस कर दिया जाएगा।
- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- c) जिन विक्रेताओं/आवेदकों ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट [www.mscecommerce.com](http://www.mscecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों → के तहत इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं → आरबीआई → मेरा मेनू नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन।
- d) विक्रेता / आवेदकों को जावा आवेदन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास 'बिड फ्लोर' के खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें सामान्य शर्तें/वित्तीय विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता/आवेदक तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होंगे।
- e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता / आवेदकों को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरा जाना चाहिए और फिर विक्रेता / आवेदकों को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

f) आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "डॉक संलग्न करें" बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

h) ई-टेंडरिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता / आवेदक एक दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

i) ई-निविदा का कार्य पूर्व घोषित तिथि और समय से और ई-निविदा की अनुसूची में उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता (ओं)/आवेदकों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। प्रस्तुत बोली को उस विक्रेता/आवेदक द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और बैंक द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए बैंक और विक्रेता/आवेदक के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।

k) यह अनिवार्य है कि बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा इसे सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

l) बैंक ई-निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने/अस्वीकार/स्वीकार करने/निकालने/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

m) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर पर बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

8. इस ई-निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

9. ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (निविदाओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

	<p>10. विक्रेता/आवेदकों से अनुरोध है कि वे विक्रेता मार्गदर्शिका को पढ़ें और बोली <u>लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a></u> पृष्ठ में वीडियो देखें।</p>
6.	<p><b><u>बोलियां खोलना</u></b></p> <p>a) भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में दिए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली के इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन को देख सकते हैं।</p> <p>b) भाग-II वित्तीय बोली केवल उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी बोली बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।</p>
7.	<p><b>आगे की पूछताछ/सहायता के लिए संपर्क विवरण (एमएसटीसी):</b></p> <p><a href="https://www.mstcecommerce.com/helpdesk_mstc.html">https://www.mstcecommerce.com/helpdesk_mstc.html</a> पर जाएँ</p>
8.	<p><b>संपर्क व्यक्ति: आरबीआई, पी एंड एस सेल (एचआरएमडी), देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय</b></p> <p>(i) श्री राजेंद्र सिंह बंगारी – <a href="mailto:rsbangari@rbi.org.in">rsbangari@rbi.org.in</a>, सहायक महाप्रबंधक (पी एंड एसओ) संपर्क नंबर 0135-2742031, मो.: 8989792746</p>
9.	<p>बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें।</p>
10.	<p>बोलीदाता (ओं) को सभी नोटिस और पत्राचार बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी प्रदान की गई है और एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>

11.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
12.	<p>i. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी-वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।</p> <p>ii. बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के खिलाफ निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।</p> <p>iii. बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।</p>
13.	निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।
14.	बैंक के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

### पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण जानकारी और अन्य नियम और शर्तें

"भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून को कॉल के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल" के लिए प्रतिष्ठित कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अनुबंध की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगी। इसे 31 मार्च, 2029 (एक बार में एक वर्ष) तक अधिकतम दो (02) वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर बैंक द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन है।

## 1. पात्रता मानदंड (पूर्व-योग्यता मानदंड)

निविदाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए और पात्रता शर्तों को पूरा करने के समर्थन में अपनी योग्यता/उपयुक्तता की जांच के लिए भाग-I, तकनीकी बोली के साथ स्व-प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना चाहिए:

- i. निविदाकर्ता को कार हायरिंग / टैक्सी ऑपरेटर एजेंसी होने का न्यूनतम 05 साल का अनुभव होना चाहिए (दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कार्य-आदेश / ग्राहक के प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र आदि द्वारा समर्थित)
- ii. निविदाकर्ता को पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों/अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को ऐसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- iii. वाहनों को वाणिज्यिक वाहनों के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। निविदाकर्ता के पास प्रोपराइटर/एजेंसी के नाम पर न्यूनतम 20 (बीस) स्वामित्व वाली कारों का फ्लीट होना चाहिए, जिसमें नीचे उल्लिखित श्रेणियों में वाणिज्यिक संख्या के साथ परिवहन पंजीकरण हो, (पंजीकरण प्रमाण पत्र / पुस्तकों की प्रतियां संलग्न करें): -

- a. कॉम्पैक्ट सेडान जैसे इंडिगो/डीजायर, इटियाँस, अमेज़, एक्सेंट या इसी तरह के वेरिएंट
- b. सेडान में होंडा सिटी/मारुति सियाज, हुंडई वरना या इसी तरह के वेरिएंट
- c. Toyota Innova Crysta या इसी तरह के वेरिएंट
- d. प्रीमियम सेडान अर्थात Honda Civic, Toyota Corolla या इसी तरह के वेरिएंट
- e. प्रीमियम एसयूवी जैसे Fortuner, Hycross आदि।

iv. 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी निविदाकर्ता का वार्षिक कारोबार ₹1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए (निविदा फर्मों/कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर विवरण, आयकर रिटर्न पावती/मूल्यांकन आदेश, लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता प्रस्तुत करना चाहिए)।

v. निविदाकर्ता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ अनुलग्नक I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कम से कम 32.00 लाख रुपये मूल्य का बैंकर्स सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि 31 जनवरी, 2026 से पहले नहीं होनी चाहिए)

vi. निविदाकर्ताओं के पास दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित लागू कर पंजीकरण (पैन, जीएसटीआईएन, आदि) होना चाहिए।

ix. निविदाकर्ता का देहरादून में अपना कार्यालय होना चाहिए।

x. वह फर्म जिसकी सेवाएं अनुबंध की अवधि के बीच समाप्त कर दी गई हैं या पिछले तीन (03) वर्षों के भीतर असंतोषजनक सेवाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा नवीनीकृत नहीं की गई हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

xi. निविदाकर्ता का अनुसूचित बैंक में चालू खाता होना चाहिए।

भाग-II, केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो भाग-I, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली की संवीक्षा के बाद पात्र पाए जाएंगे।

उपर्युक्त के समर्थन में, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज):-

(i) निविदा दस्तावेजों और सहायक दस्तावेजों को विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई पूरी करें। विधिवत भरा हुआ भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)।

(ii) संबंधित अधिनियम के तहत कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण/निगमन प्रमाण पत्र/साझेदारी विलेख (किसी कंपनी के मामले में निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें)

- (iii) पीएन विवरण (पैन की प्रति संलग्न की जानी है)।
- (iv) जीएसटीआईएन के लिए पंजीकरण की प्रतियां।
- (v) 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक टर्नओवर विवरण, आयकर रिटर्न/मूल्यांकन आदेश।
- (vi) 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी/फर्म की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता।
- (vii) अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर्स ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र।
- (viii) अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वामित्व वाली कारों/वाहनों की सूची (वाहन बनाना, पंजीकरण संख्या, मॉडल और विनिर्माण का वर्ष)। पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)/कारों की पुस्तकों की प्रतियां संलग्न करें।
- (ix) अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार पिछले कार्य अनुभव का ब्यौरा। ग्राहक के लेटर हेड में अनुभव प्रमाण पत्र / कार्य आदेश / पूर्णता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें।
- (x) ग्राहक द्वारा जारी की गई निष्पादन रिपोर्ट/प्रमाण पत्र।
- (xi) बोलीदाताओं और उनके बैंकर्स का विवरण **अनुलग्नक IV**।
- (xii) ईएमडी के विप्रेषण का प्रमाण।

## **2. निर्देश, अन्य नियम और शर्तें:**

- i. तैनात किए जाने वाले वाहनों के पास आरटीओ द्वारा निर्धारित वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए और उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत होना चाहिए। जिन निविदाकर्ताओं के वाहन उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत हैं, उन्हें केवल निविदाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- iii. सभी वाहनों के पास वैध पीयूसी और फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए।

iii. निविदा सभी अनुचलों/बाड़ों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना (जैसा कि सलाह दी गई है) बैंक द्वारा पूरी तरह से और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

iv. निविदा दस्तावेज वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) और [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com). इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल आरबीआई की वेबसाइट/एमएसटीसी ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

v. पहले चरण में, तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी। किसी भी निविदाकर्ता की बोली जिसने पात्रता मानदंड (पूर्व-योग्यता मानदंड) में निर्धारित शर्तों में से किसी का भी पालन नहीं किया है, उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

vi. अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना बोलीदाता का ट्रैक रिकॉर्ड साफ-सुथरा होना चाहिए। बोलीदाता के खिलाफ पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के साथ कोई मामला नहीं होगा। यदि मूल्यांकन के दौरान या अनुबंध के पुरस्कार के बाद किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि बोलीदाता ने इन संबंधों में तथ्यों और सूचनाओं को रोक दिया था या गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

vii. बोलीदाता पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या कोई जुर्माना नहीं भुगतना चाहिए।

viii. बोलीदाता को किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/सूचीबद्ध/काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।

ix. बोलीदाता को अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/त्याग नहीं करना चाहिए। बोलीदाता अपने ग्राहकों के साथ अपने सभी विवादों का विवरण

देगा और उसकी स्थिति प्रस्तुत करेगा। 2 में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में एक घोषणा। vi, vii, VIII और IX को **अनुलग्नक V** में प्रस्तुत किया जा सकता है।

एक्स। यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी अनुबंध है, लेकिन संभावित ठेकेदारों से प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक और ठेकेदार के विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार के प्रस्ताव की तैयारी बैंक द्वारा निविदा में शामिल किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना की जाएगी, या ठेकेदार के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों पर चर्चा करने के लिए। विक्रेताओं द्वारा अपने प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय माना जाएगा।

### **3. महत्वपूर्ण जानकारी:**

a. **बोली-पूर्व बैठक** - बोली-पूर्व बैठक 28 जनवरी, 2026 को **सुबह 11:00 बजे** कॉन्फ्रेंस हॉल, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित की जाएगी, ताकि बोलीदाताओं के काम/निविदा के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके/स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें उसी के संबंध में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके। इस बैठक के लिए तब तक अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा जब तक कि इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण तारीख में बदलाव न किया जाए। इस बैठक के दौरान निविदाकर्ताओं से सभी मुद्दों/शंकाओं को स्पष्ट करने की उम्मीद की जाती है।

b. **प्रस्ताव की वैधता** - निविदाओं में उद्धृत आवेदन और दरें वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी। 90 दिनों की उपरोक्त अवधि को आपसी करार द्वारा बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

c. इस निविदा के संबंध में संचार के लिए संपर्क व्यक्ति –

श्री राजेंद्र सिंह बंगारी – [rsbangari@rbi.org.in](mailto:rsbangari@rbi.org.in), सहायक महाप्रबंधक (पी एंड एसओ)  
संपर्क नंबर 0135-2742031, मो.: 8989792746

#### 4. बयाना जमा राशि (ईएमडी)/बोली सुरक्षा –

i. बोलीदाता 17 फरवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे या उससे पहले एनईएफटी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून खाते में ₹64,000/- (64 हजार रुपये मात्र) का ईएमडी जमा करेंगे.

एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून
आईएफएससी	RBIS0DNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)
खाता संख्या	186003001

लेन-देन संख्या और अन्य विवरणों को दर्शाने वाले प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेज के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

ii. ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

iii. ईएमडी के साथ नहीं बोलियां गैर-उत्तरदायी मानी जाएंगी, और बैंक द्वारा अपने विवेक पर बिना कोई कारण बताए सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।

iv. असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को सफल बोलीदाता को काम देने के बाद बैंक द्वारा छुट्टी/वापस कर दिया जाएगा।

v. सफल बोलीदाता द्वारा एक नई सुरक्षा जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद सफल बोलीदाता का ईएमडी वापस कर दिया जाएगा।

5. प्रतिभूति जमा/निष्पादन बैंक गारंटी - सफल बोलीदाता अनुबंध के अनुमानित मूल्य का 5% (₹1,60,000/-) की राशि एनईएफटी के माध्यम से बैंक को या प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में **अनुलग्नक VI** में दिए गए प्रारूप के अनुसार जमा / प्रस्तुत करेगा।, (जो स्वीकृति पत्र के समय जमा किया जाएगा) अनुबंध की देय पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा की ओर। निविदा जमा करते समय प्रस्तुत बयाना राशि जमा उसके बाद वापस कर दी जाएगी। यह सुरक्षा जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी अनुबंध की वैधता तक जमा/रखी जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट/पीबीजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

इस अनुबंध की शर्तों के तहत सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को प्रतिभूतिजमा/पीबीजी से वसूला जा सकता है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, जब तक कि सफल बोलीदाता बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी होने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं करता है।

## खंड II

### **6. कार्य का दायरा और अनुबंध को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें:**

#### **(i) वाहन की स्थिति और वाहन में अतिथि को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं -**

- a) बैंक द्वारा मांगे जाने पर वातानुकूलित कार/एसयूवी/वैन (ड्राइवरों के साथ) प्रदान करना।
- b) बैंक के साथ कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त वाहन 05 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। सभी वाहन साफ-सुथरे असबाब आदि के साथ अच्छी और उचित स्थिति में होने चाहिए। यात्रा के दौरान चालक को हर समय ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई वर्दी में होना चाहिए। आरबीआई को उपलब्ध कराए गए वाहन सड़क के लायक होने चाहिए।
- c) वाहनों को प्रत्येक ड्यूटी के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए: -
  1. एक अंग्रेजी या हिंदी दैनिक समाचार पत्र (जिसे ड्राइवर द्वारा हर दिन वर्तमान समाचार पत्र के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यदि शुल्क एक दिन से अधिक है)
  2. 500 मिलीलीटर के ब्रांडेड मिनरल वाटर की दो बोतलें (जो ड्राइवर द्वारा हर रोज फिर से भरनी चाहिए यदि ड्यूटी एक दिन से अधिक हो जाती है)
  3. केस/पाउच में फेस टिशू पेपर
  4. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
  5. आग बुझाने वाला यंत्र
  6. एल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र
  7. यूनिवर्सल चार्जर।

उपरोक्त सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। हर दिन, पुराने समाचार पत्रों और इस्तेमाल की गई पानी की बोतलों को ताजा पैक पानी की बोतलों और वर्तमान तारीख के समाचार पत्रों से बदल दिया जाना चाहिए। यदि ऊपर उल्लिखित वस्तुएं वाहन के साथ उपलब्ध

नहीं कराई जाती हैं, तो ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए संबंधित बिल से 500/- रुपये की राशि काट ली जाएगी।

- d) विक्रेता को वैध टैक्सी परमिट और अन्य वैधानिक मंजूरी वाले वाहन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। विक्रेता/बोली फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि करार की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई कारें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत पंजीकृत हैं/बनी रहें। बैंक के मेहमानों/अधिकारियों के साथ ड्यूटी के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कारें वाणिज्यिक प्रकृति की होनी चाहिए अर्थात् उन्हें वाणिज्यिक वाहन के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। टैक्सी परमिट के दस्तावेजी साक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक को मांगे जाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- e) वाहनों की तदर्थ उप-ठेका या अनुबंध की उप-पट्टे पर नहीं दी जानी चाहिए।
- f) वाहनों में फास्टैग होना चाहिए और ड्यूटी के दौरान इसमें पर्याप्त संतुलन होना चाहिए।

**(ii) चालकों के लिए आचरण, व्यवहार और अन्य शर्तें -**

- a) सभी हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड (आईएसबीटी) पिक-अप के लिए, ड्राइवरों को अपने वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग में पार्क करना होगा और फिर बैंक के आने वाले अतिथि के विवरण को दर्शाने वाली तख्ती के साथ आगमन द्वार पर खड़ा होना चाहिए और निकास बिंदुओं/पिकअप बिंदुओं पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए उपस्थित होना चाहिए।
- b) तैनात ड्राइवरों के पास अच्छा नैतिक चरित्र और ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और हिंदी में बातचीत करने और अंग्रेजी समझने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवरों को मेहमानों को "सर" या "मैडम" के रूप में संबोधित करना चाहिए, जैसा भी मामला हो। जरूरत पड़ने पर उन्हें मार्ग पर वाहनों की मामूली मरम्मत में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवरों को यात्रा के दौरान मेहमानों से किसी भी उद्देश्य के लिए कोई पैसा/नकदी नहीं मांगनी चाहिए।

- c) ड्राइवर को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। चालक को हमेशा सावधानियों के संबंध में उचित स्वच्छता और आवश्यक प्रोटोकॉल बनाए रखना चाहिए।
- d) ड्राइवर को बैंक और एजेंसी द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए अनुसार साफ-सुथरी वर्दी में निर्दिष्ट स्थान और समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।
- e) बैंक के अतिथि/उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को हमेशा कार के साथ उपलब्ध रहना चाहिए और ड्राइवर को बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए और सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करना चाहिए।
- f) विक्रेता द्वारा नियुक्त ड्राइवरों/कर्मचारियों को बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
- g) संपर्ककर्ता द्वारा तैनात चालक को ड्यूटी पर एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी संपर्ककर्ता की होगी।
- h) प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात जैसे बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सड़क कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि यात्रा के दौरान हर समय चालकों के साथ प्रत्येक वाहन में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
- i) विक्रेता द्वारा नियुक्त व्यक्ति विक्रेता के कर्मचारी होंगे और न तो विक्रेता और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा।

- j) चालक को दैनिक आधार पर माइलेज, यात्रा किए गए किलोमीटर का विवरण, रिपोर्टिंग का समय, जारी करने का समय, यात्रा के प्रारंभ और अंत के समय मीटर रीडिंग आदि का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और उसी दिन मेहमानों/उपयोगकर्ता द्वारा ड्यूटी स्लिप (अनुलग्नक- vii) पर प्रमाणित करना चाहिए। बैंक के पास भुगतान के लिए विचार न करने का अधिकार सुरक्षित है, बिना शुल्क पर्ची के या अहस्ताक्षरित शुल्क पर्ची के साथ भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल/चालान। वाहन का मेक और वाहन का पंजीकरण नंबर, जो अतिथि को प्रदान किया जाता है, ड्यूटी स्लिप पर उल्लेख किया जाना चाहिए।
- k) इसके अलावा, ड्राइवर को हर समय विनम्र, विनम्र और सेवा उन्मुख होना चाहिए। वह मांग पर अतिथि को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए।

**(iii) परिचालनात्मक शर्तें**

- a) विक्रेता उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर फोन पर लिखित या मौखिक निर्देशों पर टैक्सी प्रदान करेगा। विक्रेता को बैंक से अल्प सूचना पर टैक्सी प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (आपात स्थिति के मामले में एक घंटे के भीतर)। हमारे अनुरोध पर वाहन प्रदान करने से बार-बार इनकार करने की स्थिति में, या तो फोन पर मौखिक या लिखित रूप में, बैंक ठेकेदार को पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- b) विक्रेता को बुकिंग और कार के विवरण की पुष्टि करनी चाहिए, जिसमें कार का मेक/रंग, कार पंजीकरण संख्या, चालक का नाम और उसका मोबाइल नंबर शामिल है, अतिथि के आगमन / प्रस्थान या निर्धारित यात्रा से कम से कम एक (01) दिन पहले ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से सीधे कार्यालय और अतिथि को सूचित करना चाहिए।
- c) बैंक को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में विक्रेता के पास आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।

- d) किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति या जीवन को नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ के लिए एकमात्र जिम्मेदारी एजेंसी/ठेकेदार के पास निहित होगी। बैंक की कोई देयता नहीं होगी। यदि वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो दिन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है।
- e) यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज में उल्लिखित टैक्सी के अलावा टैक्सी का कोई अन्य मेक या मॉडल प्रदान करने में सक्षम है, तो इन्हें संबंधित श्रेणी के तहत शुल्क के साथ शामिल किया जा सकता है।
- f) यदि ठेकेदार कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह बैंक को सूचित करने के बाद वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।
- g) गैरेज और पिकअप के बिंदु और वापस गैरेज के संबंध में दावा की जा सकने वाली अधिकतम दूरी प्रत्येक तरफ अधिकतम 10 किलोमीटर तक सीमित होगी। यह एयरपोर्ट ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिकअप और आईएसबीटी ड्रॉप/पिकअप के मामले में लागू नहीं होगा।
- h) रात भर का ठहराव शुल्क लागू होगा, यदि ड्यूटी रात 10 बजे (रात) से परे या सुबह 06 बजे (सुबह) से पहले की जाती है।
- i) निविदाकर्ता ठेका श्रम (विनियम एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और देश में प्रचलित अन्य लागू अधिनियमों/संविधियों और श्रम कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। निविदाकर्ता द्वारा किसी भी उल्लंघन या वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की स्थिति में, बैंक को निविदाकर्ता के लंबित बिलों से समायोजन के माध्यम से खुद को प्रतिपूर्ति करने या अन्यथा उपलब्ध कानूनी साधनों के माध्यम से इसे पुनर्प्राप्त करने का अधिकार होगा, इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की सीमा तक।

- j) पैनल में शामिल एजेंसियां **अनुलग्नक VII** में मसौदा करार के अनुसार, बैंक द्वारा उनके पैनल की सूचना प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर मुद्रांकित कागज पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेंगी। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। पहले अनुबंध की अवधि **01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक** होगी। इसे अधिकतम दो (02) वर्षों की अवधि के लिए यानी **31 मार्च, 2029** (एक बार में एक वर्ष) तक नवीनीकृत किया जा सकता है, जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर बैंक द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन है। स्टॉप शुल्क निविदाकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।
- k) निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित और बैंक द्वारा स्वीकार की गईं दरें, अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध रहेंगी, जहां अनुबंध के नवीनीकरण के समय इसकी समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते कि श्रम कानूनों या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकार के निर्णय आदि में कोई बड़ा बदलाव हो। हालांकि, यह केवल बैंक की स्पष्ट अनुमति से ही किया जा सकता है।
- l) निविदाकर्ता के पास वैध और सक्रिय जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
- m) निविदाकर्ता को बैंक को कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के लिए चालक के रूप में लगे व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के बारे में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- जुर्माना** - सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों या जिन्हें बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, के कारण गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित उदाहरण के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक उचित सूचना देने के बाद ही इसे लेगा। विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून के पास अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

n) यह निविदाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक द्वारा मांगे जाने पर टैक्सी (ओं)/वाहनों को प्रदान करे, जिसमें रात/सुबह शामिल है। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निविदाकर्ता को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, निविदाकर्ता इस संबंध में किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा उपरोक्त पैराग्राफ (एल) के तहत लगाए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, निविदाकर्ता के किसी भी लंबित बिल से काट लिया जाएगा।

**7. मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान:** यदि किसी भी समय, इस करार के निर्माण के बारे में या इस करार से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में या उक्त पक्षों के अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों और बाध्यकारी के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न उत्पन्न होंगे, तो इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन और मध्यस्थों के मध्यस्थ/पैनल के निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, इस तरह के विवाद, मतभेद या प्रश्न, यदि कोई हों, को देहरादून में उत्पन्न माना जाएगा और केवल देहरादून की अदालतों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

#### **8. कर:**

(क) निविदा फर्मों/कंपनियों के पास सभी लागू कर पंजीकरण (पैन, जीएसटीआईएन, आदि) होने चाहिए।

(ख) उद्धृत दरों में केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले सभी कर या भविष्य में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए किसी अन्य कर (जीएसटी को छोड़कर) शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता ऐसे करों और शुल्कों को निविदा में शामिल करने में विफल रहता है, तो

बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, कर, जैसा भी लागू हो, स्रोत पर काटा जाएगा और विक्रेता को इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

9. निविदा के भाग- II में कोई नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई निविदा उसमें उल्लिखित शर्तों के साथ पाई जाती है, तो उसे "अमान्य" माना जाएगा।

#### **10. भुगतान संबंधी शर्तें:**

(क) निविदाकर्ता को सेवाएं प्रदान करने के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, बिलों का भुगतान सहायक दस्तावेजों के साथ बिलों के उत्पादन के पैंतालीस दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। पैनल में शामिल विक्रेताओं को एनईएफटी के लिए अधिदेश प्रस्तुत करना चाहिए। एमएसएमई के बिल लागू प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और सूचीबद्ध विक्रेताओं को वैध एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) गैरेज से पिकअप के स्थान तक और ड्रॉप प्वाइंट से वापस गैरेज के संबंध में दावा की जा सकने वाली अधिकतम दूरी के प्रभार पिक-अप/ड्रॉप के लिए 10 किमी तक सीमित होंगे।

(ग) हवाईअड्डे को छोड़ने/लेने के लिए, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिक-अप और बस स्टैंड (आईएसबीटी) ड्रॉप/पिकअप के लिए केवल एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि शुल्क उपरोक्त स्थानों से पिकअप/ड्रॉप से अधिक है, तो भुगतान स्थानीय शुल्क अनुसूची (4 घंटे/40 किमी और 8 घंटे/80 किमी) के अनुसार किया जाएगा

(घ) पथकर/पाकग प्रभारों का भुगतान केवल दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

(ङ) यदि ठेकेदार कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो उसे वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान करनी होगी। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।

(च) किसी भी परिस्थिति में, चालक अतिथि से ईंधन भरने या टोल करों, पार्किंग आदि के लिए धन के बारे में नहीं पूछेगा।

(छ) एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने से पहले हर दिन वाहन टैंक में पर्याप्त ईंधन होना चाहिए, वाहन को साफ किया जाना चाहिए और ऊपर उल्लिखित पैरा 6 (सी) के अनुसार आवश्यक सभी वस्तुओं से लोड किया जाना चाहिए।

**11. क्षतिपूर्ति:** विक्रेता ठेकेदार द्वारा तैनात ड्राइवर/ड्राइवरों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा जो अनुबंध की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होता है। उपर्युक्त के अभाव में, बैंक ठेकेदार/सुरक्षा जमा/निष्पादन गारंटी के लंबित बिल से बैंक को हुई हानि या क्षति की लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**12. यौन उत्पीड़न:** विक्रेता/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ता/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जैसा भी लागू हो, और निविदाकर्ता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ विक्रेता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। विक्रेता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों से जुड़ी घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि विक्रेता के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न समिति द्वारा साबित हो जाता है। विक्रेता अपने कर्मचारियों को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

**13. अप्रत्याशित घटना:** कोई भी पार्टी (या इसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति) के पास इस करार के तहत किसी भी दायित्व (भुगतान दायित्व के अलावा) को पूरा करने में विफलता के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक कि इस तरह के दायित्व की पूर्ति को बल घटना की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रोका जाता है, निराश, बाधित या देरी की जाती है।

**14. गैर-प्रकटीकरण:**

पैनल में शामिल विक्रेता, इसके तहत अपने कर्तव्यों द्वारा अधिकृत या आवश्यक के अलावा, किसी भी व्यक्ति या संस्था को संगठन, व्यवसाय, वित्त, लेनदेन या बैंक के अन्य मामलों से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट या प्रकट नहीं करेगा, जो अनुबंध की अवधि के दौरान ठेकेदार के ज्ञान में आ सकता है, और विक्रेता विक्रेता को सौंपी गई सभी गोपनीय जानकारी (बैंक के मेहमानों/अधिकारियों के यात्रा/अन्य विवरण सहित, जिनके लिए वाहन किराए पर सेवाएं प्रदान करता है) को पूरी गोपनीयता में रखेगा (ली जा रही है) और किसी भी ऐसी जानकारी का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के हितों को खतरे में डाल सकता है। यह प्रतिबंध इस करार की समाप्ति के बाद भी बिना किसी सीमा के लागू रहेगा, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में आने वाली जानकारी या ज्ञान पर लागू होना बंद हो जाएगा।

निविदाकर्ता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। निविदाकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। निविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को निविदाकर्ता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों/ड्राइवरों

के संबंध में सभी उचित और विवेकपूर्ण कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे। निविदाकर्ता अपने द्वारा तैनात कर्मचारियों/ड्राइवरों द्वारा इस खंड का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में निविदाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा।

### **15. अनुबंध की समाप्ति:**

i. यहां जो कुछ भी निहित है, उसके पूर्वाग्रह के बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, लिखित सूचना द्वारा इस करार को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा। असाइन किए बिना एक महीना किसी भी कारण से और किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना, यदि-

a. बैंक की राय में (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के लिए इस करार को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या

b. ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या रिसीवर को ठेकेदार की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए नियुक्त किया जाता है और/या

c. किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या

d. इस तरह के परिवर्तन के बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना ठेकेदार या उसके व्यवसाय के प्रबंधन के स्वामित्व/साझेदारी में कोई भिन्नता है।

ii. यदि ठेकेदार किसी भी कारण से करार को समाप्त करना चाहता है, तो वह दो महीने की पूर्व सूचना देने के बाद ऐसा कर सकता है, जिसमें वह पूरी नोटिस अवधि में सेवाएं देने के लिए बाध्य होगा।

iii. निविदाकर्ता या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक की राय में, करार की संक्षिप्त समाप्ति के लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराएगा **बिना किसी सूचना के** या उसके बदले में कोई मुआवजा।

#### **16. बीमा:**

सफल निविदाकर्ता एक वर्ष के नवीकरणीय के लिए अनुबंध मूल्य के लिए "सभी जोखिम नीति" लेगा यदि अनुबंध बैंक द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। निविदाकर्ता अनुबंध की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। यदि निविदाकर्ता इन नीतियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक निविदाकर्ता के बिल से नुकसान या क्षति की लागत को वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### **17. कनवासिंग:**

किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करना, अनुरोध करना या लुभाने या प्रलोभन देने का प्रयास करना भारत के कानूनों के तहत अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न या निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण गलत / जाली / फर्जी या फर्जी के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है या जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक में भविष्य में कोई काम नहीं दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्मों या फर्मों की कोई अन्य प्रकृति जिसमें ठेकेदार एक पक्ष है, को भी कोई काम नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता को भी नकारात्मक सूची में रखा जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कार्य सौंपने के बाद कार्य निष्पादित करने में विफलता की स्थिति में, बैंक ठेकेदार/निविदाकर्ता, उसके सहयोगियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें वह बैंक में किसी भी अनुबंध को प्रदान करने से रुचि रखता है। बैंक इस अनुबंध के तहत संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने वाले ठेकेदार/निविदाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में किसी

भी कार्य के पुरस्कार से प्रतिबंधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक ठेकेदार को प्रतिबंधित करने से पहले ठेकेदार/निविदाकर्ता को 10 दिन का नोटिस जारी करेगा और ठेकेदार/निविदाकर्ता द्वारा इस तरह के नोटिस पर दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें करार का हिस्सा और पार्सल बनाएंगी।

### खंड III

#### **18. प्रस्तावों की जांच:**

(क) बोलीदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि बोलियों (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के मूल्यांकन में दो चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वित्तीय बोलियां खोलने से पहले तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया जाएगा।

#### **(ख) तकनीकी बोली का मूल्यांकन**

आवेदकों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पात्रता मानदंड (पूर्व-योग्यता मानदंड) के आधार पर किया जाएगा जैसा कि निविदा दस्तावेज के पैराग्राफ 1 में निर्धारित किया गया है। बोलीदाताओं को भाग-I में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी/विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

#### **(c) वित्तीय बोली का मूल्यांकन**

i. ऑनलाइन निविदा के भाग-II (वित्तीय बोली) में निर्धारित प्रारूप में केवल सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें होनी चाहिए। बोलीदाता को एमएसटीसी पोर्टल में उपलब्ध भाग II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्य उद्धृत करना चाहिए।

बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम (एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में) विधिवत भरे गए हैं और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। वित्तीय बोली खोलने के बाद, बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. केवल उन निविदाकारों का भाग-II (वित्तीय बोली) जो तकनीकी बोली (भाग-I) में अर्हता प्राप्त करते हैं, बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी। निविदाकर्ता निविदा के भाग II के उद्घाटन के दौरान उपस्थित होने का विकल्प चुन सकते हैं।

iii. बैंक वाहनों की प्रत्येक श्रेणी और निविदाकर्ताओं द्वारा यात्रा के प्रत्येक खंड के तहत उद्धृत सबसे कम दर के आधार पर एक 'किराया दर तालिका' तैयार करेगा। बैंक द्वारा तैयार की गई 'किराया दर तालिका' वित्तीय बोली खोलने के बाद, सभी पात्र बोलीदाताओं को उनकी स्वीकृति और परिणामी पैनल के लिए पेश की जाएगी। उपरोक्त में से केवल ऐसे बोलीदाताओं को पैनल के लिए माना जाएगा जो वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रस्तावित न्यूनतम दरों (बैंक द्वारा तैयार किराए की दर तालिका) पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होते हैं। यदि एक से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया जाता है, तो उन्हें समान अनुपात में कार्य प्रदान किया जाएगा।

iv. वित्तीय बोली के लिए कोई नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा

v. बैंक एक या एक से अधिक निविदाकर्ताओं के बीच आदेश को विभाजित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

vi. वित्तीय बोली में दरें/उद्धरण दृढ़ और अंतिम होंगे और अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से नहीं बदले जाएंगे (पैराग्राफ 6 (iii) (k) में उल्लिखित अनुबंध के नवीनीकरण के समय दरों की समीक्षा की

जाएगी। और इस तरह निविदाकार कीमतों में संभावित भविष्य के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरों को उद्धृत कर सकते हैं। बैंक किसी भी परिस्थिति में अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

vii. सभी सांविधिक कटौतियां, जैसा लागू हो, कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से की जाएंगी। इसलिए, वित्तीय बोली सभी समावेशी (जीएसटी को छोड़कर) होगी।

vii. वित्तीय बोली में केवल भारतीय रुपये में भरी गई कीमत होनी चाहिए।

viii. वित्तीय/वित्तीय बोली सभी प्रकार से पूरी की जाएगी और निविदाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जाएगी।

ix. निविदा के भाग-II में कोई नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई निविदा उसमें उल्लिखित शर्तों के साथ पाई जाती है, तो उसे "अमान्य" माना जाएगा।

एक्स। **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार:** बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या निविदा के पूरे या एक हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे, बिना कोई कारण बताए उसके लिए।

### **19. निविदा का खोला जाना:**

i. प्रस्ताव की वैधता: निविदाओं में उद्धृत आवेदन और दरें वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी। 90 दिनों की उपरोक्त अवधि को आपसी करार द्वारा बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

ii. निविदा दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

iii. तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियों में ठेकेदार द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी।  
सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

iv. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

v. बैंक किसी भी कारण से और किसी भी समय परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। निविदा दस्तावेज का कोई भी परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा और यह निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्तावों को तैयार करने में किसी भी परिशिष्ट को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बैंक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाएगा।

**नोट:** सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम एतद्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त अनुबंध मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा। मैं/हम यह भी ध्यान देते हैं कि यह पत्र अनुबंध दस्तावेज का हिस्सा बनेगा और इस पत्र की सामग्री निविदा की शर्तों के पूरक होगी और विशेष रूप से यहां प्रदान की गई सीमा को छोड़कर उसके अपमान में नहीं होगी।

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**

**मुहर**

**पता**

तिथि -

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम-

(नोट: यदि निविदाकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी के कार्यकारी को प्रस्तुत करने और कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल से संकल्प की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी है। यदि निविदाकर्ता एक साझेदारी फर्म है, तो इसे साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और सभी भागीदारों से प्राधिकरण आवश्यक है जो निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले भागीदारों में से एक को अधिकृत करता है। इसकी एक नोटरीकृत सच्ची प्रति संलग्न की जा सकती है।)

भाग I

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष (HRMD)

देहरादून - 248001

महोदया/प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को कॉल के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन

बुनियादी जानकारी (जहां भी आवश्यक हो, एक अलग शीट संलग्न करें)

1.	a) (ए) निविदाकर्ता का नाम b) (ख) मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पंजीकृत कार्यालय का पता। c) (ग) मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पत्राचार के लिए पता। d) (घ) मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ प्राधिकृत अधिकारियों का नाम।	a) b) c) d)
2.	a) (ए) संगठन का प्रकार/रूप: (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी) b) (ख) स्थापना/निगमन की तिथि c) (ग) पंजीकरण प्राधिकरण	a) b) c) d)

	d) (घ) पंजीकरण संख्या 10 और तारीख (ऊपर दिए गए a से d के लिए प्रासंगिक सहायक दस्तावेज संलग्न करें)	
3.	पदनाम और संपर्क विवरण के साथ फर्म/एजेंसी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	
4.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक कारोबार (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)  (a) वर्ष 2022-23 (b) वर्ष 2023-24 (c) वर्ष 2024-25	(a) ₹ (b) ₹ (c) ₹
5.	पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न विवरण। (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)	
6.	कार्य अनुभव का विवरण। (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)	
7.	बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	अनुलग्नक I के अनुसार विवरण संलग्न
8.	पैन नं. और जीएसटी नं. (प्रतियां संलग्न करें)	
9.	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी या प्रदान की गई सेवा से संबंधित लंबित किसी भी अदालती मामलों में शामिल है। (यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें)	
10.	a) (ए) स्वामित्व वाले वाहनों की कुल संख्या (आवश्यकता के अनुसार वाहन की आरसी कॉपी संलग्न करें)  b) (ख) अनुबंध-II के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित मॉडल, मेक,	a)  b)

	पंजीकरण वर्ष के साथ स्वामित्व वाली कारों/वाहनों की सूची। (यदि आवश्यक हो तो अलग-अलग शीट संलग्न करें)	
11.	ईएमडी की वापसी के लिए बैंक खाता विवरण (आईएफएस कोड, खाता संख्या, खाता प्रकार आदि)। कृपया रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करें।	अनुलग्नक IV के अनुसार विवरण संलग्न
12.	एनईएफटी (जमा ईएमडी के लिए) का पूरा विवरण, जहां भी लागू हो।	
13.	ग्राहक रिपोर्ट/प्रमाण पत्र के साथ मौजूदा ग्राहकों की सूची (अनुलग्नक III में दिए गए प्रारूप के अनुसार)	
14.	एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	

**नोट:**

- (i) कृपया सहायक दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए पैराग्राफ 1 (पात्रता मानदंड) देखें।
- (ii) बैंक प्रस्तुत की गई जानकारी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मांगेगा और/या सत्यापित कर सकता है।

**घोषणा:**

1. उपरोक्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है/अनुबंध दिया जा रहा है।
2. मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. मैं/हम हमेशा वैध परिवहन पंजीकरण और बैंक द्वारा किराए के लिए वैध टैक्सी परमिट के साथ वाहनों की आपूर्ति करने का वचन देते हैं।
4. मैं/हम समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और पंजीकरण, परिवहन, यातायात आदि के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार और राज्य परिवहन विभाग द्वारा

बनाए गए अन्य नियमों/विनियमों के अनुरूप हैं, जो समय-समय पर लागू होते हैं। मैं/हम इन नियमों/विनियमों के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति देंगे।

5. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मेरी/हमारी निविदा निविदा के भाग-II के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।
6. मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, इसके लिए कोई कारण बताए बिना।
7. मैं/हम बैंक को कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के लिए चालक के रूप में लगे व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का वचन देते हैं
8. मैं/हम समझते हैं कि पैनल में शामिल होने के बाद, मैं/हम बैंक के साथ सहमत दरों पर बैंक को किराए पर लेने के आधार पर वाहनों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक:

सील:

निविदाकर्ता का नाम:

## भाग II

### (वित्तीय/वित्तीय बोली)

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को कॉल के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने के लिए निविदा/आवेदन

निविदाकर्ता/फर्म का नाम: - \_\_\_\_\_

पता:

स्थानीय और बाहरी पर्यटन के लिए विभिन्न प्रकारों की कारों/उपयोगिता वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए। नीचे दिए गए विभिन्न उपयोगों के अनुसार दर-वार व्यापक होना चाहिए, जिसमें निविदाकर्ता के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दरें जीएसटी रहित होनी चाहिए।

[यह केवल उदाहरण के लिए है और वित्तीय बोली भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। इसे एमएसटीसी ऑनलाइन पोर्टल में अनुभाग के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए - एक्सेल प्रारूप में वित्तीय बोली (एक्सेल प्रारूप एमएसटीसी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है)।

(यहां दरों को उद्धृत न करें। दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाएंगी)

### कारों को किराए पर लेने के लिए कोटेशन (दरें रुपये ₹ में)

सीनियर।	की श्रेणी वाहन	कॉम्पैक्ट सेडान (इंडिगो/डी'जायर/इटियाँस/अमेज़/एक्सेंट या इसी तरह के वेरिएंट)	सेडान (हॉन्डा सिटी/मारुति सियाज/हुंडई वरना या इसी तरह के वेरिएंट)	टोयोटा इनोवा/मारुति सुजुकी अर्टिगा या इसी तरह के वेरिएंट)	Toyota Innova Crysta या इसी तरह के वेरिएंट	प्रीमियम सेडान (हॉन्डा सिविक/टोयोटा कोरोला या इसी तरह के वेरिएंट)
1	के खंड यात्रा					
	लोकल - 4 घंटे/40 किलोमीटर उद्धृत दरों में शामिल होना चाहिए-					
	a) कार बेस शुल्क					
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)					

	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है					
	उद्धृत कुल राशि (a+b+c)					

सीनियर। के खंड यात्रा	की श्रेणी वाहन	कॉम्पैक्ट सेडान (इंडिगो/डी'जायर/ इटियाँस/अमेज़/ए क्सेंट या इसी तरह के वेरिएंट)	सेडान (हॉडा सिटी/मारुति सियाज/हुंडई वरना या इसी तरह के वेरिएंट)	टोयोटा इनोवा/मारुति सुजुकी अर्टिगा या इसी तरह के वेरिएंट)	Toyota Innova Crysta या इसी तरह के वेरिएंट	प्रीमियम सेडान (हॉडा सिविक/टोयोटा कोरोला या इसी तरह के वेरिएंट)
2	लोकल - 8 घंटे/80 किलोमीटर उद्धृत दरों में शामिल होना चाहिए-					
	a) कार बेस शुल्क					
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)					
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है					
	उद्धृत कुल राशि (a+b+c)					
3.	बाहरी यानी देहरादून जिले के बाहर न्यूनतम रनिंग (किमी में)					
4	बाहरी यानी देहरादून जिले के बाहर न्यूनतम शुल्क उद्धृत दरों में शामिल होना चाहिए-					
	a) कार बेस शुल्क					
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)					
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है					
	उद्धृत कुल राशि (a+b+c)					
5	ओवरनाइट हॉल्ट शुल्क					
6	अतिरिक्त किमी शुल्क					

7	अतिरिक्त घंटे का शुल्क					
<b>स्थानीय हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड (आईएसबीटी)</b>						
8	हवाई अड्डे से लेने और/या ड्रॉप शुल्क उद्धृत दरों में शामिल होना चाहिए-					
	a) कार बेस शुल्क					
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)					
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है					
	<b>उद्धृत कुल राशि (a+b+c)</b>					
9	रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड (आईएसबीटी) पिकअप और/या ड्रॉप शुल्क उद्धृत दरों में शामिल होना चाहिए-					
	a) कार बेस शुल्क:					
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि):					
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है					
	<b>उद्धृत कुल राशि (a+b+c)</b>					

## मिनी बस/बस किराए पर लेने के लिए कोटेशन

(दरों रुपये ₹ में)

सीनियर । के खंड यात्रा	की श्रेणी वाहन	मिनी एसी बस/टेम्पो ट्रेवलर या इसी तरह के वेरिएंट	एसी बस डीलक्स (2X2)
<b>1</b>	<b>लोकल - 4 घंटे/40 किमी.</b> दरों में शामिल होना चाहिए-		
	a) बस बेस शुल्क		
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)		
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है		
	<b>उद्धृत कुल राशि (a+b+c)</b>		
<b>2</b>	<b>लोकल - 8 घंटे/80 किमी.</b> दरों में शामिल होना चाहिए-		
	a) बस बेस शुल्क		
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)		
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है		
	<b>उद्धृत कुल राशि (a+b+c)</b>		
<b>3.</b>	<b>आउटस्टेशन न्यूनतम रनिंग (किमी में)</b>		
<b>4</b>	<b>बाहरी न्यूनतम शुल्क</b> दरों में शामिल होना चाहिए-		
	a) बस बेस शुल्क		
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)		
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है		
	<b>उद्धृत कुल राशि (a+b+c)</b>		

5	ओवरनाइट हॉल्ट शुल्क		
6	अतिरिक्त किमी शुल्क		
7	अतिरिक्त घंटे का शुल्क		
8	हवाई अड्डे से लेने और/या ड्रॉप शुल्क। दरों में शामिल होना चाहिए-		
	a) कार बेस शुल्क		
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)		
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है		
	उद्धृत कुल राशि (a+b+c)		
9	रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड (आईएसबीटी) पिकअप और/या ड्रॉप शुल्क दरों में शामिल होना चाहिए-		
	a) कार बेस शुल्क:		
	b) सुविधा किट (निविदा दस्तावेज की धारा II के पैरा 6 (सी) के अनुसार समाचार पत्र, पानी की बोतल आदि)		
	c) ड्राइवर की वर्दी/लिवरियों पर खर्च उसके वार्षिक खर्च के अनुपात में होता है		
	उद्धृत कुल राशि (a+b+c)		

नोट-

1. ऐसे कोटेशन जिनमें प्रत्येक श्रेणी के तहत सभी उप-श्रेणियां, अर्थात (ए) कार बेस शुल्क, (बी) सुविधा किट शुल्क और (सी) आनुपातिक चालक की वर्दी शुल्क, नहीं भरे जाते हैं, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. 0-0.999 के बीच पड़ी राशि को अमान्य माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा
3. प्रत्येक श्रेणी / खंड के तहत उद्धृत कुल राशि (ए + बी + सी) केवल किराया दर तालिका तैयार करने के लिए ली जाएगी।
4. लंबी दूरी के लिए संबंधित वाहनों के लिए न्यूनतम दौड़ ऊपर बताई गई होगी।

5. यदि सेवा प्रदाता टैक्सी का कोई अन्य मेक या मॉडल प्रदान करने में सक्षम है, तो इसे प्रत्येक श्रेणी के तहत शुल्क के साथ शामिल किया जा सकता है। किसी भी मामले में, यदि सेवा प्रदाता अपने दम पर उच्च श्रेणी के वाहन प्रदान करता है, तो उसे कारों की श्रेणी के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए बुकिंग की गई है।
6. एयरपोर्ट ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिक अप या बस स्टैंड (आईएसबीटी) ड्रॉप/पिक अप के लिए, एक निश्चित राशि का भुगतान केवल किया जाएगा। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
7. उद्धृत दरें सभी समावेशी होनी चाहिए लेकिन जीएसटी रहित होनी चाहिए (कोई अतिरिक्त शुल्क या करों का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि इस दस्तावेज़ में अन्यथा निर्दिष्ट न हो)।
8. अधिकतम दूरी के लिए शुल्क जो गैरेज के संबंध में पिक-अप के बिंदु और ड्रॉप पॉइंट से गैरेज में वापस जाने के संबंध में दावा किया जा सकता है, प्रत्येक तरफ 10 किलोमीटर (आने-जाने के लिए) तक सीमित होगा और बिल का भुगतान वास्तविक दूरी या 10 किलोमीटर प्रत्येक पक्ष (आने-जाने के लिए), जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। यह हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन के ड्रॉप/पिकअप और बस स्टैंड (आईएसबीटी) के ड्रॉप/पिकअप के मामले में लागू नहीं होगा।
9. पैराग्राफ 6 (c) में निर्धारित आइटम की लागत के अनुसार वाहन में दो 500 मिली वाली मिनरल वाटर की बोतलें, फेस टिशू पेपर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, हैंड सैनिटाइजर और उस दिन के समाचार पत्र आदि) का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. मूल बिल/रसीदों/दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर टोल शुल्क और पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
11. वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत और प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए अलग-अलग विक्रेता द्वारा उद्धृत दरों का विश्लेषण विक्रेताओं के बीच सबसे कम दरों के लिए किया जाएगा और पैनल के लिए आधार बनेगा। इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा उद्धृत प्रत्येक श्रेणी/उपयोग के लिए न्यूनतम दरों को अन्य सभी पात्र विक्रेताओं को स्वीकृति और परिणामी पैनल के लिए पेश किया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील

तारीख:

स्थान:

**DRAFT FORM OF BANKERS' SOLVENCY CERTIFICATE FROM A SCHEDULED  
BANK**

(This should be enclosed with tender)

This is to certify that to the best of our knowledge and information M/s..... having address as reproduced below, a customer of our bank are/is respectable and can be treated as good for any engagement up to a limit of ₹..... (Rupees .....). This certificate is issued without any guarantee or responsibility on the bank or any of the officers.

(Signature)  
For the Bank

**Note:**

1. Bankers' certificates should be on letter head of the bank and addressed to Regional Director, HRMD, Reserve Bank of India, Dehradun.
2. In case of successful Bidder being partnership firm, certificate to include names of all partners as recorded with the Bank.

**List of owned cars/vehicle in the name of proprietor / Agency**

S.N.	Name of Car/Vehicle	Model	Year of Manufacturing	Registration No.	Whether Car is registered as Commercial Vehicle in RTO (Yes/No)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

**Note: Attach copies of Registration Certificates (RC)/ books of all cars**

**Signature and Name of the authorized person of the firm/bidder with office seal**

**List of owned cars/vehicle, that will be available for duties with  
RBI Dehradun**

S.N.	Name of Car/Vehicle	Model	Year of Manufacturing	Registration No.	Whether Car is registered as Commercial Vehicle in RTO (Yes/No)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

**Note: Attach copies of Registration Certificates (RC)/ books of all cars**

**Signature and Name of the authorized person of the firm/bidder with office seal**

**Work Experience**

**List of similar works executed by the tenderer during the last 5 years**

<b>S.N.</b>	<b>Details of Services provided</b>	<b>Name &amp; address of the organization</b>	<b>Name &amp; address of Employee/Officer under whose supervision services were provided</b>	<b>Amount (for entire annual contract)</b>	<b>Whether services were provided for the originally contracted length of time or not</b>	<b>No. of years dealing with the organization</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

**Note: (i) Attach documentary proof such as experience certificate/work order/completion certificate in client's letter head.**

**(ii) Attach Performance report/ certificate issued by above clients.**

**Signature and Name of the authorized person of the firm/bidder with office seal**

**Bank details of Bidder**

Name of the Bidder:

Address (in full):

1	Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)	
2	<b>Account Number</b>	
3	Type of Account (Savings, Current etc.)	
4	<b>PAN Number</b>	
5	Name of the bank	
6	Name of the Branch	
7	Address of the bank	
8	<b>IFSC Code</b>	

Note: Enclose copy of cancelled cheque.

**Signature and Name of the authorized person of the firm/bidder with office seal**

**Declaration**

I/We solemnly hereby declare that:

a) The firm/company is not involved in illegal activities or financial frauds. There are no cases with the Police/ Court/ Regulatory authorities against the bidder.

b) The firm/company has not been prosecuted or suffered any penalty for violation of any statutory laws by any Authority.

c) The firm/company has not been suspended / delisted / disqualified by any organization including Reserve Bank of India, any time in the past, on any grounds.

d) The firm/company has not rescinded/abandoned any contract awarded by any of his clients before the expiry of prescribed period of contract. The firm/company shall give details of all disputes it had with its clients and furnish the status thereof.

**Signature and Name of the authorized person of the firm/bidder with office seal**

**Proforma of Bank Guarantee for Security Deposit**

**(To be submitted on non-judicial stamp paper of appropriate value purchased in the name of the issuing bank)**

To

Date:

The Regional Director  
Reserve Bank of India  
Human Resource Management Department  
Dehradun - 248001

Place

Madam / Dear Sir,

**Bank Guarantee for performance security deposit – Empanelment of Car Hiring/Taxi Operator Agencies/Companies to Provide Vehicle on Call Basis to Reserve Bank of India, Dehradun**

**WHEREAS**

WHEREAS Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai, (hereinafter called "the RBI") and its Regional Office at Plot no. 16-17, IT Park, Dehradun, Uttarakhand (hereinafter referred to as RBI) has awarded the Contract for the captioned project (hereinafter called the "Contract") to M/s \_\_\_\_\_ (Name of the Contractor) (hereinafter called " the said Contractor" which expression shall include its successors and assigns).

AND Whereas the Contractor is bound by the said Contract to submit to RBI a Performance Security for a total amount of ₹. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) (Amount in figures and words) for the due fulfilment by the said contractor of the terms and conditions contained in the contract. We, \_\_\_\_\_ (Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s \_\_\_\_\_, the contractor, do hereby undertake to pay to the RBI an amount not exceeding Rs. \_\_\_\_\_ as Performance Guarantee for due fulfilment of the terms and conditions of the contract.

**NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH**

1. We ----- (Name of the Bank) do hereby agree with and undertake to RBI, their Successors, assigns that in the event of the RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations under the said conditions of the contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said contractor, we shall on demand by the RBI, pay without demur to the RBI,

a sum of Rs..... (Rupees----- only) or any lower amount that may be demanded by the RBI. Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the due performance of the obligations of the Contractor under the said Contract, provided, however, that our liability against such sum shall not exceed the sum of Rs..... (Rupees----- only).

2. We also agree to undertake to and confirm that the sum not exceeding Rs. (Rupees----- only) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from the RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from the RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by the RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

3. We confirm that our obligation to the RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between the RBI and the Contractor.

4. This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI.

5. Any notice by way of demand or otherwise hereunder may be sent by special courier, mail, fax or registered post to our local address as aforesaid and if sent by post, it shall be deemed to have been given when the same has been posted.

**We hereby further agree that –**

a) Any forbearance, act or omission on the part of the RBI in enforcing any the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said Contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by the RBI to the Contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the Contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding Rs..... (Rupees only).

b) Our liability under these presents shall not exceed the sum of Rs..... (Rupees only)

c) Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations thereunder or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.

d) This guarantee shall remain in force up to ----- provided that if so desired by the RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.

e) In order to give full effect to the guarantee herein contained you shall be entitled to act as if we were your principal debtors in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any, which are in any way inconsistent with any of the provisions of this guarantee

f) Should it be necessary to extend this guarantee on account of any reason whatsoever, we undertake to extend the period of this Guarantee on your request till such time as may be required by you. Your decision in this respect shall be final and binding on us.

g) Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by the RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against

us within or any extended period, all the rights of the RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

In witness whereof I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the ---  
---- day of ----- (Month) (Year) being herewith duly authorized. For and on behalf of  
\_\_\_\_\_ (Name of the Bank) Signature of authorized Bank official

Name:

Designation:

Stamp/ Seal of the Bank

Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

Witness 1

Signature .....

Name .....

Address .....

Witness 2

Signature .....

Name .....

Address .....

(NB: This guarantee will require stamp duty as applicable in the state, where it is executed and shall be signed by the official whose signature and authority shall be verified).

**(Duty Slip)**

(separate duty slip is to be filled for every day)

Name of the Guest \_\_\_\_\_ Mobile No of Guest \_\_\_\_\_

Vehicle No. \_\_\_\_\_ Vehicle Type \_\_\_\_\_

Description	Details	Places Visited
Guest Pickup Date and Time		
Guest Pickup Reading (KMs)		
Guest Drop Off Date and Time		
Guest Drop Off Meter Reading (KMs)		

(Signature of the Guest)

To be filled by the Agency	Garage Opening Reading		Garage Closing Reading	
	Km reading	Starting time	Km reading	Closing time

**Format of Agreement**

<u>करार</u>	<u>AGREEMENT</u>
<p>यह करार &lt;Date&gt; को देहरादून में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट सं 16-17, आई.टी. पार्क, सहास्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखंड-248013, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 में है (इसके बाद में बैंक कहा गया है) एवं जिसका प्रतिनिधित्व इसके सहायक महाप्रबंधक श्री आरएस बंगारी कर रहे हैं और इस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ के प्रतिकूल संदर्भ न हो कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी और समुनदेशिती शामिल होंगे, जो इस करार का प्रथम पक्ष है</p>	<p>This agreement is made at Dehradun on &lt;Date&gt;, between RESERVE BANK OF INDIA, Plot No-16-17, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand-248013 having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 (hereinafter referred to as “The Bank”) represented by its Assistant General Manager, Sh. RS Bangari which expression shall, unless repugnant to the context, be deemed to include the Successors in office and Assignees in office on the one part.</p>
और	AND
<p>मेसर्स Company Details और इस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ के प्रतिकूल संदर्भ न हो उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो इस करार का दूसरा पक्ष है, के बीच किया गया है।</p>	<p>M/s Company details (herein after referred to as “The Contractor”) which expression shall, unless repugnant to the context, be deemed to include their heirs, administrators, executors and legal representatives on the other part.</p>
जबकि	WHEREAS,
<p>1. बैंक अपने अधिकारियों/कर्मचारियों/अतिथियों के उपयोग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को कार किराए पर देने वाली/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों को आवश्यकता (कॉल) आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की सेवाएं लेने का इच्छुक है।</p>	<p>1. The Bank is desirous of engaging car hire/ taxi operator agencies/ companies to provide vehicle on call basis to Reserve Bank of India,</p>

<p>2. बैंक ने आवश्यकता आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने/टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों के पैनल के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं। ठेकेदार ने कार किराया/टैक्सी सेवा के लिए आवेदन/निविदा और उद्धृत दरों को प्रस्तुत किया है और ठेकेदार ने इस करार की अनुसूची ए में विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के तहत बैंक द्वारा तैयार और प्रस्तावित 'किराया दर तालिका' पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की है।</p> <p>3. बैंक ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को इसके बाद विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर स्वीकार कर लिया है और संविदा के लिए पार्टियों द्वारा इन पर परस्पर सहमति व्यक्त की गई है।</p> <p>अब दोनों पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से निम्नानुसार सहमति बनी है:</p> <p>क. पैनल बारह (12) महीने की अवधि अर्थात् 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगा. जिसे कार्यालय द्वारा समीक्षा के आधार पर अगले 2 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।</p> <p>ख. ठेकेदार द्वारा स्वीकृत दरें संविदा की अवधि के लिए वैध रहेंगी.</p> <p>4. <b><u>संविदा के कार्य का दायरा, नियम व शर्तें</u></b></p> <p>क. बैंक/बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर वातानुकूलित कार/एसयूवी/वैन (ड्राइवर सहित) उपलब्ध कराना।</p> <p>ख. बैंक की ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले वाहन 05 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।</p>	<p>Dehradun for the use of its officers/ employees/ guests.</p> <p>2. The Bank has invited e-tenders for Empanelment of Car Hiring/Taxi Operator Agencies/Companies to provide Vehicle on Call Basis. The Contractor has submitted application/tender and quoted rates for the car hire /taxi service and that the Contractor has agreed in writing to work at the hire rate table prepared and offered by the Bank, under each category of vehicles as specified in Schedule A of this agreement.</p> <p>3. The Bank has accepted the application submitted by the Contractor on the terms and conditions hereinafter specified and mutually agreed by the parties to the contract.</p> <p>NOW IT IS MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:</p> <p>a) The empanelment shall be for a period of Twelve (12) months i.e. from April 01, 2026 to March 31, 2027. Which may be renewed for further 2 years based on the review by the office.</p> <p>b) The rates accepted by the Contractor will remain valid for the period of contract.</p> <p>4. <b><u>Scope of Work, Terms &amp; Conditions governing Contract</u></b></p>
---	--

<p>सभी वाहन साफ-सुथरी अपहोल्स्टरी के साथ अच्छी स्थिति में हों। यात्रा के दौरान ड्राइवर हर समय ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वर्दी में होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन सड़क पर चलने योग्य होने चाहिए।</p> <p>ग. वाहन में निम्नलिखित उपलब्ध होना चाहिए –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) एक अंग्रेजी या हिंदी दैनिक समाचार पत्र (जिसे ड्राइवर द्वारा प्रतिदिन नए समाचार पत्र से बदला जाना चाहिए यदि ड्यूटी एक दिन से अधिक की हो)</li> <li>(ii) ब्रांडेड मिनरल पानी की 500 मिली. की दो बोतलें (जिसे ड्राइवर द्वारा प्रतिदिन नई बोतलों से बदला जाना चाहिए यदि ड्यूटी एक दिन से अधिक की हो)</li> <li>(iii) डिब्बे/पाउच में फेस टिशू पेपर</li> <li>(iv) प्रथम उपचार बॉक्स</li> <li>(v) अग्निशामक</li> <li>(vi) अल्कोहॉल आधारित हैंड सेनिटाइजर</li> <li>(vii) युनिवर्सल चार्जर</li> </ul> <p>उपर्युक्त सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। प्रत्येक दिन पुराने समाचार पत्रों और इस्तेमाल की गई पानी की बोतलों को नई पैक पानी की बोतलों और वर्तमान तारीख के अखबार से</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Providing air-conditioned cars/SUVs/Vans (with drivers), as and when requisitioned by the Bank / by an official authorized by the Bank.</li> <li>b) Vehicles deputed for duties with the Bank must not be more than 05 years old. All vehicles should be in good and proper condition with neat and clean upholstery, etc. Driver must be in the uniform provided by the contractor at all times during the course of the trip. The vehicles provided to RBI should be road worthy.</li> <li>c) The vehicles should be provided with:- <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) One English or Hindi daily newspaper (Which should be replaced every day with the current newspaper by the driver, if the duty exceeds more than a day)</li> <li>(ii) Two bottles of branded mineral water of 500 ml each (Which should be replenished everyday by the driver if the duty exceeds more than a day)</li> <li>(iii) Face tissue papers in case/pouch</li> <li>(iv) First-aid box</li> <li>(v) Fire-extinguisher</li> <li>(vi) Alcohol-based hand sanitizer</li> </ul> </li> </ul>
--	---

<p>बदलना चाहिए। यदि ऊपर उल्लिखित सामान वाहन के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए संबंधित बिल से ₹500/- रुपये की कटौती की जाएगी।</p> <p>घ. ठेकेदार ऐसे वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए जिनका वैध टैक्सी परमिट और अन्य सांविधिक निकासी प्रमाणपत्र हों। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदा की अवधि के दौरान प्रदान की गई कारें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत पंजीकृत हैं/रहती हैं। बैंक के अतिथियों/अधिकारियों के लिए ऊट्टी पर लगाई जाने वाली सभी कारें वाणिज्यिक स्वरूप की हों अर्थात् वे आरटीओ में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। टैक्सी परमिट का दस्तावेजी साक्ष्य मांग किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>ङ. वाहनों का तदर्थ उप ठेका या संविदा को उप पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।</p> <p>च. कोई भी महामारी सुरक्षा उपायों के संबंध में केंद्र / राज्य सरकारों / प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।</p> <p>छ. वाहनों में फास्टैग होना चाहिए और ऊट्टी के दौरान इसमें पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।</p>	<p>(vii) Universal Charger.</p> <p>No extra charges will be paid for the above amenities. Every day, old newspapers and used water bottles should be replaced with fresh packed water bottles and newspaper of the current date. If the items mentioned above are not provided with the vehicle, then a sum of Rs 500/- shall be deducted from the respective bill for each such occasion.</p> <p>(d) The Contractor must be able to provide vehicles having valid taxi permits and other statutory clearances. The Contractor shall ensure that during the tenure of the agreement the cars provided are/remain registered under Motor Vehicle Act 1988. All the cars deployed by the Contractor for duty with the Bank's guests/officials should be of commercial nature i.e., they must be registered with the RTO as a commercial vehicle. Documentary evidence of Taxi permits shall be provided to RBI as and when demanded.</p> <p>(e) Adhoc sub-contracting of vehicles or sub-letting of the contract is not permitted.</p>
--	--

## 5. चालकों के लिए आचार, व्यवहार और अन्य शर्तें

- क. सभी हवाई अड्डे /रेलवे स्टेशन / बस स्टैंड )आईएसबीटी (पिक-अप के लिए, ड्राइवरों को अपने वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग में पार्क करना होगा और फिर बैंक के आने वाले अतिथि के विवरण को दर्शाने वाले एक प्लेकार्ड के साथ आगमन द्वार पर खड़े रहेंगे और निकास बिंदुओं / पिकअप बिंदुओं पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए उपस्थित होना होगा।
- ख. तैनात ड्राइवरों का अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए और उन्हें ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और वे हिंदी में बातचीत करने और अंग्रेजी समझने में सक्षम होने चाहिए। ड्राइवरों को मेहमानों को "सर" या "मैडम" जैसे यथोचित रूप में संबोधित करना चाहिए। उन्हें जरूरत पड़ने पर मार्ग में वाहनों की मामूली मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए। चालक को यात्रा के दौरान अतिथि से किसी भी उद्देश्य जैसे टोल टैक्स आदि के लिए पैसे/नकदी की मांग नहीं करनी चाहिए।
- ग. चालक चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। ड्राइवर को हमेशा उचित स्वच्छता और सावधानियों के संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल बनाए रखना चाहिए।

(f) All protocol as prescribed from time to time by Central/State governments/Authorities with respect to any pandemic safety measures must be adhered strictly.

(g) The vehicles must have Fastag and it should have sufficient balance during the course of duty.

## 5. Conduct, behaviour and other conditions for the drivers

- l) For all airport/ Railway Station/ Bus Stand (ISBT) pick-ups, the drivers must park their vehicles at the designated parking and then must stand at the arrival gate with a placard depicting particulars of the arriving guest of the Bank and be present to receive the guests at the exit points / pickup points.
- m) The drivers deployed should have good moral character and reasonable experience of driving. They should be well groomed and be able to converse in Hindi and understand English. Drivers must address the guests as "Sir" or "Madam" as the case may be. They should be able to attend to minor repairs of vehicles on route, in case of need. **The drivers must not demand or ask any money/ cash for any purpose from the guests during the trip.**

<p>घ. ड्राइवर को निर्दिष्ट स्थान और समय पर साफ-सुथरी वर्दी में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा, जैसाकि बैंक और एजेंसी द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया गया है।</p> <p>ङ. बैंक के अतिथि/उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को कार के साथ हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए और ड्राइवर को बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए और बचाव और सुरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करना चाहिए।</p> <p>च. ठेकेदार द्वारा लगाए गए ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वाहनों/व्यक्तियों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।</p> <p>छ. ठेकेदार द्वारा तैनात ड्राइवर के पास ड्यूटी पर होने पर एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों/चालकों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।</p> <p>ज. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात जैसेकि बीमा, पंजीकरण प्रमाणपत्र, सड़क कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि यात्रा</p>	<p>n) The driver should be medically fit. The driver should always maintain proper hygiene and necessary protocol.</p> <p>o) The driver must report for duty at specified place and time in neat and clean uniform, as mutually decided by the Bank and the agency.</p> <p>p) The driver must always be available with the car once he has reported to the guest/user officer of the Bank and the driver must comply with the orders given by the authorized officers of the Bank and must also observe the rules and regulations of the Bank regarding safety and security.</p> <p>q) The drivers/employees engaged by the vendor shall abide by the instructions given by the security officers/guards of the Bank and vehicles/persons will have to undergo security check as and when required.</p> <p>r) The driver deployed by the contactor should carry a valid driving license when on duty, which should be produced by him if demanded by traffic personnel. Renewal of his driving license from time to time and Police verification will be the responsibility of the contactor.</p>
--	---

<p>के दौरान हर समय ड्राइवर्स के साथ प्रत्येक वाहन में उपलब्ध होना चाहिए।</p> <p>झ. ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और न तो ठेकेदार और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का अधिकार होगा।</p> <p>ञ. ड्राइवर को माइलेज का उचित रिकॉर्ड, यात्रा किए गए किलोमीटर का विवरण, रिपोर्टिंग का समय, रिलीज करने का समय, यात्रा शुरू होने और समाप्त होने के समय मीटर रीडिंग आदि को बनाए रखना चाहिए। दैनिक आधार पर और उसी दिन अतिथियों /उपयोगकर्ता द्वारा ड्यूटी पर्ची (अनुबंध-vii) पर इसे प्रमाणित करें। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना शुल्क पर्ची के या अहस्ताक्षरित शुल्क पर्चियों के साथ भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों/चालानों पर विचार न करे। वाहन का मेक और वाहन का पंजीकरण नंबर, जो अतिथि को प्रदान किया जाता है, ड्यूटी स्लिप पर उल्लिखित किया जाना चाहिए।</p> <p>ट. इसके अलावा, ड्राइवर को हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवा उन्मुख होना चाहिए। अतिथि द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए।</p>	<p>s) All the papers viz. insurance, certificate of registration, road tax, pollution control certificates, permits, valid license, etc. related to each vehicle should be readily available in each of the vehicles with drivers at all times during the trip.</p> <p>t) The persons engaged by the vendor will be the employees of the vendor and neither the vendor nor his employees shall have any right to claim any employment in the Bank.</p> <p>u) Driver should maintain a proper record of mileage, details of kilometers travelled, time of reporting, time of releasing, meter readings at the time of start and end of journey etc. on a daily basis and get the same authenticated on the duty slip (Annex-vii) by the guests / user on the same day. The Bank reserves the right not to entertain for payments, the bills/ invoices presented for payment without duty slips or with unsigned duty slips. The make of vehicle and registration number of the vehicle, which is provided to the guest should be mentioned on the duty slip.</p> <p>v) Besides the driver should be polite, courteous and service oriented at all times. He should provide his mobile number to the guest on demand.</p>
<p><b>6. परिचालनात्मक शर्तें</b></p> <p>क. वेंडर को उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर फोन पर लिखित या मौखिक निर्देशों पर टैक्सी प्रदान करनी होगी। वेंडर को बैंक से कम समय में</p>	

टैक्सी प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (आपातकालीन स्थिति में एक घंटे के भीतर)। यदि हमारे अनुरोध पर वाहन प्रदान करने से बार-बार इनकार करने के मामले में, या तो फोन पर मौखिक या लिखित, बैंक ठेकेदार को पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

ख. वेंडर को अतिथि के आगमन/प्रस्थान या निर्धारित यात्रा से कम से कम एक (01) दिन पहले ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बुकिंग की पुष्टि और कार विवरण, जैसेकि कार की कंपनी/रंग, कार पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर सीधे कार्यालय और अतिथि दोनों को सूचित करना चाहिए।

ग. बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में वेंडर के पास आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।

घ. किसी भी दुर्घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति या जीवन को नुकसान या क्षति के मामले में, किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ के लिए एकमात्र जिम्मेदारी एजेंसी ठेकेदार की होगी। बैंक की / कोई देनदारी नहीं होगी। यदि वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उस दिन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है।

ड. यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज में उल्लिखित के अलावा टैक्सी का कोई अन्य मेक या मॉडल

## **6. Operational Conditions**

- o) The vendor shall provide taxi on written or verbal instructions over phone within the time specified therein. The vendor shall also be required to provide taxi at short notice from the Bank (say within an hour in case of emergency). In case of repeated refusal to provide vehicles on our request, either verbal over phone or written, the Bank shall be free to remove the contractor from the panel.
- p) The vendor should convey the confirmation of booking and car details comprising of car make / colour, car registration no., driver's name and his mobile number directly, both to the office and guest through e-mail/ SMS, at least one (01) day prior to the arrival/departure or scheduled journey of the guest.
- q) The vendor should have ability to arrange for emergency transport in case of breakdown of a vehicle provided to the Bank.
- r) In case of any accident resulting in loss or damage to property or life, the sole responsibility for any legal or financial implication would vest with the Agency/ Contractor. The Bank shall have no liability whatsoever. No payment for the

<p>प्रदान करने में सक्षम है, तो इन्हें संबंधित श्रेणी के तहत शुल्क के साथ शामिल किया जा सकता है।</p> <p>च. यदि ठेकेदार उस श्रेणी की कार प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह बैंक को सूचित करने के बाद उच्च श्रेणी के वाहन प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।</p> <p>छ. गैराज और पिक-अप स्थल और वापस गैराज के संबंध में दावा की जा सकने वाली अधिकतम दूरी प्रत्येक तरफ अधिकतम 10 किलोमीटर तक सीमित होगी। यह एयरपोर्ट ड्रॉप/पिक-अप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिक-अप और आईएसबीटी ड्रॉप/पिक-अप के मामले में लागू नहीं होगा।</p> <p>ज. रात 10 बजे (रात) के बाद या सुबह 06 बजे से पहले ड्यूटी की जाती है या बढ़ाई जाती है, तो ओवरनाइट हॉल्ट चार्ज लागू होगा।</p> <p>झ. निविदाकर्ता ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और देश में प्रचलित अन्य लागू अधिनियमों/संविधियों और श्रम कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। निविदाकर्ता द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं के किसी उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न होने</p>	<p>day is admissible if the vehicle meets with an accident.</p> <p>s) If the contractor is able to provide any other make or model of taxi, other than those mentioned in the tender document, these may be included along with the charges under relevant category.</p> <p>t) In case the contractor is not able to provide the category of car for which booking has been made by the Bank, he may provide higher category of vehicle after intimating the Bank. However, payment will be made for the category of vehicle booked by the Bank.</p> <p>u) The maximum distance that can be claimed in respect of garage and point of pickup and back to garage would be restricted to maximum 10 kms each side. This would not be applicable in the case of Airport drop / pickup, Railway Station drop/pickup and ISBT drop/pickup.</p> <p>v) Overnight halt charges will be applicable, if duty is performed / extends beyond 10 pm (night) or before 06 am (morning).</p> <p>w) The Tenderer shall ensure compliance with all the obligations arising under the Contract Labour (Regulations &amp; Abolition) Act, 1970, Minimum Wages Act, 1948, Workmen's Compensation Act, 1923 and other applicable Acts/Statutes and labour</p>
---	--

वाली किसी भी देयता की स्थिति में, बैंक को निविदाकर्ता के लंबित बिलों से समायोजन के माध्यम से स्वयं की प्रतिपूर्ति करने या अन्यथा उपलब्ध कानूनी साधनों के माध्यम से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

- ज. पैनल में शामिल एजेंसियां बैंक द्वारा उनके पैनल में शामिल किए जाने की सूचना प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर मुद्रित कागज पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेंगी। तथापि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को बाध्यकारी संविदा माना जाएगा, जैसे कि ऐसा करार निष्पादित किया गया हो और सभी निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी। अनुबंध की अवधि **01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027** तक होगी। जिसे कार्यालय द्वारा समीक्षा के आधार पर अगले 2 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी निविदाकर्ता द्वारा वहन और भुगतान की जाएगी।
- ट. निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई और बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध रहेंगी, जिसके बाद अनुबंध के नवीकरण के समय इसकी समीक्षा की जा सकती है बशर्ते श्रम कानूनों में कोई बड़ा बदलाव हो या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला सरकारी निर्णय आदि आए। हालांकि, ऐसा केवल

laws prevailing in the country. In the event of any liability arising on account of any breach or non-compliance with Statutory requirements by the Tenderer, the Bank will have the right to reimburse itself by way of adjustment from the Tenderer's pending bills or otherwise recover it through available legal means, to the extent of the loss suffered by it as a consequence of the same.

- c) The empaneled agencies shall execute an agreement with the Bank on stamped paper within 07 working days of receipt of intimation of their empanelment by the Bank. However, the issue of letter of acceptance by the Bank shall be considered as binding Contract, as though such an agreement has been executed and all the terms and conditions shall apply. The period of contract will be from April 01, 2026 to March 31, 2027. Which may be renewed for further 2 years based on the review by the office. The stamp duty shall be borne and paid by the Tenderer.
- x) The rates offered by the Tenderers and accepted by the Bank, will remain valid for the initial period of contract, where after it may be reviewed at the time of renewal of the Contract provided any major changes occur in labour laws or Govt. decision affecting fuel pricing, etc. However, this

<p>बैंक की स्पष्ट अनुमति के साथ किया जा सकता है।</p> <p>ठ. निविदाकर्ता के पास वैध और सक्रिय जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।</p> <p>ड. निविदाकर्ता को बैंक को कार किराए पर लेने के सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्राइवरों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के बारे में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।</p> <p><b>जुर्माना</b> - सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों या जिन्हें बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, को हुई गंभीर असुविधा के लिए, अनुमानित बिल के 25% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक उचित नोटिस देने के बाद ही इसे वसूल करेगा। विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>ढ. यह निविदाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक द्वारा मांगे जाने पर टैक्सी (यों)/वाहनों को उपलब्ध कराए, जिसमें रात/सुबह शामिल है। उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निविदाकर्ता को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर, निविदाकर्ता इस संबंध</p>	<p>can be done only with the explicit permission of the Bank.</p> <p>y) The tenderer should have valid and active GST Registration.</p> <p>z) The tenderer will have to obtain police verification certificate regarding the antecedents of the persons engaged as drivers for providing Car Hiring services to the Bank.</p> <p><b>Penalty</b> - For deficiency in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials or those whom the Bank directs to provide services, penalty not exceeding 25% of the estimated bill for the relevant instance may be levied. However, the Bank will levy it only after giving due notice. In case of a dispute, an appeal may be made to the Regional Director, Reserve Bank of India, Dehradun whose decision in the matter will be final and binding.</p> <p>aa) It will be the sole responsibility of the Tenderer to provide taxi (s)/vehicles as and when requisitioned (written or verbal) by the Bank including night/ early morning. Without prejudice to the above, the Tenderer will also have to make alternate arrangements in case of breakdown of his vehicle(s). In case of</p>
--	--

में किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा ऊपर पैराग्राफ (ठ) के तहत लगाए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, निविदाकर्ता के किसी भी लंबित बिल से काटा जाएगा।

### 7. भुगतान की शर्तें

क. निविदाकर्ता को सेवाएं प्रदान करने के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ बिल जमा करने की आवश्यकता होगी। बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, बिलों का भुगतान सहायक दस्तावेजों के साथ बिलों के प्रस्तुत होने के पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं किया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। पैनल में शामिल वेंडरों को एनईएफटी के लिए अधिदेश प्रस्तुत करना चाहिए। एमएसएमई के बिल लागू प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और सूचीबद्ध वेंडरों को वैध एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, यदि लागू हो।

ख. गैराज से पिक-अप प्वाइंट और वापसी ड्रॉप पॉइंट से गैराज के संबंध में अधिकतम दूरी के लिए शुल्क प्रत्येक पिक-अप/ड्रॉप के लिए 10 किलोमीटर तक सीमित होगा।

failure, the Tenderer will be responsible to compensate all expenses incurred in this regard. Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the Tenderer. Such compensation may be in addition to any penalty levied under paragraph (I) above. Penalty and compensation, if any, will be deducted from any pending bill of the Tenderer.

### 7. Terms of Payment

a) The tenderer will be required to submit the bills along with the supporting documents, within three working days after providing the services. Except under cases of circumstances beyond the control of the Bank, the payment of bills will be made not later than forty-five days of production of bills complete with the supporting documents. Payments will be made through electronic mode. The empaneled vendor/s should furnish mandate/s for NEFT. The bills of MSME will be governed by the applicable provisions and the empaneled vendor/s should furnish the valid MSME registration certificate, if applicable.

b) The charges for maximum distance that can be claimed in respect of garage to point of pick-up and back to garage from drop point would be restricted to 10 Kms each to and fro for pick-up/ drop.

<p>ग. एयरपोर्ट ड्रॉप/पिक-अप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिक-अप और बस स्टैंड (आईएसबीटी) ड्रॉप/पिक-अप के लिए, केवल एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि उपर्युक्त स्थानों से पिक/ड्रॉप से अधिक शुल्क लगता है, तो भुगतान स्थानीय ड्यूटी शेड्यूल (4 घंटे /40 किमी और 8 घंटे/80 किमी) के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>घ. टोल/ पार्किंग शुल्क का भुगतान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।</p> <p>ङ. यदि ठेकेदार कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो उसे उच्च श्रेणी के वाहन प्रदान करने होंगे। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।</p> <p>च. किसी भी परिस्थिति में, ड्राइवर मेहमान से ईंधन भरने या टोल टैक्स, पार्किंग आदि के लिए पैसे नहीं मांगेगा।</p> <p>छ. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने से पहले हर दिन वाहन टैंक में पर्याप्त ईंधन होना चाहिए, वाहन को ऊपर उल्लिखित पैरा 6 (ग) के अनुसार आवश्यक सभी वस्तुओं के साथ साफ / सेनिटाइज किया जाना चाहिए।</p>	<p>c) For airport drop/pick up, Railway Station drop/pick-up and Bus Stand (ISBT) drop/pick-up, a fixed amount would only be paid. If the duty exceeds beyond pick up/ drop from the above said locations, then the payment will be made as per the local duty schedules (4 hrs / 40km or 8 hrs / 80 km).</p> <p>d) The toll/parking charges would be paid only on production of documentary evidence.</p> <p>e) In case the contractor is not able to provide the category of car for which booking has been made by the Bank, he has to provide higher category of vehicle. However, payment will be made for the category of vehicle booked by the Bank.</p> <p>f) Under no circumstance, driver will ask the guest about money for refueling or toll taxes, parking etc.</p> <p>g) Agency will have to ensure that every day before reporting for duties the vehicle tank must contain adequate fuel, vehicle must be cleaned / sanitized and loaded with all the items required as per Para 6(c) mentioned above.</p>
---	--

## **8. वैधानिक अपेक्षाओं का पालन**

ठेकेदार संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, बाल रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, के प्रावधानों का पालन करेगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जब भी आवश्यक समझे ऐसे अनुपालन का प्रमाण मांग सकता है और ठेकेदार इसका पालन करेगा। उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और बैंक को चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाला व्यय की क्षतिपूर्ति करेगा। उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियमों या नियमों के तहत ठेकेदार के किसी भी दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में, बैंक ऐसी किसी भी हानि या

## **8. Adherence to Statutory Requirements**

The Contractor shall comply with the provision of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Minimum Wages Act 1948, Employee State Insurance Act, 1948, Payment of Wages Act 1936, Workman's Compensation Act 1923, The Employee's Provident Fund Act (Miscellaneous Provisions) 1952, Payment of Bonus Act 1965, Employer's Liability Act 1938, Employment of Children Act 1938; Maternity Benefit Act 1961, and/or any other rules/regulations and/or statutes that may be applicable to them and as amended from time to time. The Bank reserves the right to call for proof of such compliance whenever deemed necessary and the Contractor shall abide by the same. The Contractor shall be solely responsible for violation of any provisions of the above mentioned legislative enactments or any other statutory provisions and shall further keep the Bank indemnified from all acts of omission, fault, breaches and / or any claim, demand, loss, injury and expense arising out from the non-compliance with the aforesaid statutory provisions. In case of Contractor's failure to fulfil any of the obligations hereunder and / or under the said Acts/rules/ regulations/ or any bye-laws or rules framed under or any of these, the Bank, shall be entitled to recover any of such losses or

खर्च, जो इस तरह के दावों, मांग, हानि या चोट के कारण भुगतान या उठाना पड़ सकता है, ठेकेदार को किए जाने वाले मासिक भुगतान और बयाना जमाराशि से वसूली का हकदार होगा।

**9. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन**

वेंडर/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ता/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी, जो भी लागू हो, और निविदाकर्ता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों से जुड़ी घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि

expenses, which it may have to suffer or incur on account of such claims, demand, loss or injury, from the Contractor's monthly payment and Security Money Deposit.

**9. Compliance with "Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013"**

The vendor/Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Tenderer/Agency or the Local Complaints Committee, as applicable, and the Tenderer/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint". Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the vendor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The vendor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involving the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual harassment by the employee of the vendor is proved by the Committee. The vendor shall be

वेंडर के कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न को समिति द्वारा साबित कर दिया जाता है। वेंडर अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

#### 10. मध्यस्थता

संविदा में किए गए प्रावधानों को छोड़कर, कार्य और सेवाओं के दायरे, नियमों और शर्तों से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, जो पहले से उल्लिखित हैं और उपयोग की जाने वाली सेवा या सामग्री की गुणवत्ता या किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, पदार्थ या चीज के रूप में संविदा से उत्पन्न या संबंधित किसी भी तरह से, कार्य और सेवाओं का कार्यक्षेत्र, निबंधन और शर्तें, अनुदेश, आदेश या अन्यथा कार्यों से संबंधित या संविदा के चालू रहने के दौरान या उसके पूरा होने के बाद उत्पन्न होने वाले कार्यों का निष्पादन / इसे निष्पादित करने में विफल होने पर इसे क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, देहरादून को भेजा जाएगा अथवा उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता में होगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ बैंक का कर्मचारी है और उसे संविदा से संबंधित कार्य का निपटान करना था और इस तरह अपने कर्तव्यों के दौरान किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे जो विवादस्पद या अलग थे। मध्यस्थ जिसे मूल रूप मामला भेजा गया है, कार्यालय से स्थानांतरित

responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at work place and related issues.

#### 10. Arbitration

Except where otherwise provided for in the contract all questions and disputes relating to the Scope of Work and Services, Terms & Conditions, hereinbefore mentioned and as to the quality of service or materials used or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, Scope of Work and Services, Terms & Conditions, instructions, orders or otherwise concerning the works or the execution of/ failure to execute the same whether arising during the progress of the contract or after the completion thereof shall be referred to the sole arbitration of the Regional Director, RBI, Dehradun or to the sole arbitration of some other person appointed by the Regional Director, RBI, Dehradun willing to act as such arbitrator. There will be no objection if the arbitrator so appointed is an employee of the Bank and that he had to deal with the matters to which the contract relates and that in the course of his duties as such he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred by vacating his office or being unable to act for any reason, Regional

किया जा रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो पूर्वोक्त क्षेत्रीय निदेशक उसके स्थानांतरण, पद छोड़ते समय या कार्य करने में असमर्थ होने पर संविदा की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। वह व्यक्ति वहाँ से उस मामले पर आगे बढ़ने का हकदार होगा जहाँ इसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के पूर्वोक्त प्रावधानों अथवा किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन: और उसके तहत बनाए गए नियमों, जो लागू हों, को इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू माना जाएगा। प्रावधान या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन और उसके तहत और कुछ समय के लिए लागू नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। यह संविदा की एक शर्त है कि मध्यस्थता से जुड़े पक्ष इस खंड के तहत मध्यस्थता को संदर्भित किए जाने वाले विवाद या विवादों को निर्दिष्ट करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में राशि या दावा की गई राशि शामिल होगी। मध्यस्थ समय-समय पर पार्टियों की सहमति से अवार्ड बनाने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। संविदा के तहत काम, यदि यथोचित रूप से संभव हो, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ठेकेदार को देय कोई भुगतान ऐसी कार्यवाही के कारण रोका नहीं जाएगा। माना जाएगा कि मध्यस्थ ने पहली सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने की तारीख का संदर्भ का संदर्भ लिया है। मध्यस्थ उसे संदर्भित प्रत्येक विवाद या

Director as aforesaid at the time of such transfer, vacation of office or inability to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the state at which it was left by his predecessor. Subject as aforesaid the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to arbitration proceeding under this clause. It is a term of the contract that the party involving arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute. The arbitrator(s) may from time to time with the consent of the parties enlarge the time, for making and publishing the award. The work under the contract shall, if reasonably possible, continue during the arbitration proceedings and no payment due to be payable to the Contractor shall be withheld on account of such proceedings. The Arbitrator shall be deemed to have entered on the reference on the date he issues notice to both the parties fixing the date of the first hearing. The Arbitrator shall give a separate award in respect of each dispute or difference referred to him. The venue of arbitration shall be Dehradun or as may be fixed by the Arbitrator in his sole discretion. The

अंतर के संबंध में एक अलग अवार्ड देगा। मध्यस्थता का स्थान देहरादून होगा या जैसा कि मध्यस्थ द्वारा अपने विवेक से तय किया जा जाए। मध्यस्थ का निर्णय इस अनुबंध के सभी पक्षों पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। यदि कोई कानूनी विवाद उठाया जाता है, तो उसे केवल देहरादून शहर के न्यायालयों में निपटाया जाएगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

### **11 अप्रत्याशित घटना**

यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय, दोनों में से कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, देवीय कृत्य आदि कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, प्रभावित पार्टी इस तरह की घटना के होने के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगी। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद संविदा के तहत दायित्वों को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन को रोका जाता है या घटना के कारण पारस्परिक रूप से सहमत अवधि, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, से अधिक होने के कारण, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा समाप्त कर सकता है।

award of the arbitrator shall be final, conclusive and binding on all parties to this contract. In case any legal dispute is raised, same will be settled in the Courts at Dehradun City only. Alternate settlement modes can be used for settling any legal dispute with mutual consent only.

### **11. Force Majeure**

If at any time during the currency of the contract, either party is subject to force majeure, which can be termed as civil disturbance, riots, strikes, tempest, acts of God etc. which may prevent either party to discharge its obligation, the affected party shall promptly notify the other party about the happening of such an event. Neither party shall by reason of such event be entitled to terminate the contract in respect of such performance of their obligations. The obligations under the contract shall be resumed as soon as possible after the event has come to an end or ceased to exist. If the performance of any obligation under the contract is prevented or delayed by reason of the event beyond a period mutually agreed upon, if any, or seven days, whichever is more, either party may at its option terminate the contract.

### **12. Non-Disclosure**

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information or materials and

## 12. गैर प्रकटीकरण

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि की ऐसी किसी भी सूचना या सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा जो किसी तीसरे पक्ष को करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकती है और हर समय उसकी गोपनीयता बनाए रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या इसे समाप्त करने तक रहेगा।

details of the Bank's structure/ systems/ equipment etc. which may come to possession or knowledge of the Contractor during discharging its contractual obligations in connection with the agreement to any third party and shall at all times hold the same in the strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the prior written consent of the Bank. The Contractor shall indemnify the Bank for any loss suffered by the employer as a result of the disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor, and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligation with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

## 13. Security Deposit

<p>13. <b><u>जमानत राशि</u></b></p> <p>ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत राशि रूपये 1,60,000/- पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>14. <b><u>संविदा का समाप्ति</u></b></p> <p>क . उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के एक महीने की लिखित सूचना द्वारा इस करार को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-</p> <p>i. बैंक की राय में (जिसपर ठेकेदार द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि पर इस करार को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या</p> <p>ii. ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है जहाँ इसके क्रेडिटर या प्राप्तकर्ता को ठेकेदार की संपत्ति या</p>	<p>No interest will be paid by the Bank on Security Deposit amount of Rs. 1,60,000/- deposited by the Contractor.</p> <p>14. <b><u>Termination of Contract</u></b></p> <p>a) Without prejudice to what is contained hereinabove, the Bank shall at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate this agreement forthwith by written notice of one month without assigning any reason and without payment of any compensation, if-</p> <p>i) In the opinion of the Bank (which shall not be called in question by the Contractor and shall be binding on the Contractor) the Contractor fails or refuses to implement this agreement to the Bank's satisfaction and/or</p> <p>(ii) The Contractor is adjudged an insolvent or a compromise is entered by it with its creditors or receiver is appointed of any part of the assets or property of the Contractor and/or</p> <p>(iii) For any reason whatsoever, the Contractor becomes disentitled in law to</p>
---	--

<p>संपत्ति के किसी भी हिस्से पर नियुक्त किया जाता है और/या</p> <p>iii. किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से वंचित हो जाता है और/या</p> <p>iv. बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना ठेकेदार या उसके व्यवसाय के प्रबंधन के स्वामित्व/साझेदारी में कोई परिवर्तन होता है।</p> <p>ख. यदि ठेकेदार किसी भी कारण से संविदा को समाप्त करना चाहता है, तो वह दो महीने की पूर्व सूचना देने के बाद ऐसा कर सकता है, जिसमें वह पूरी नोटिस अवधि में सेवाएं देने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>ग. निविदाकर्ता या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक की राय में बिना किसी नोटिस के या बदले में बिना किसी मुआवजे के तुरंत करार की समाप्ति के लिए खुद उत्तरदायी होंगे।</p> <p>15. <b>क्षतिपूर्ति:</b> वेंडर संविदा की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को ठेकेदार द्वारा तैनात ड्राइवर द्वारा किए जाने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त के अभाव में, बैंक</p>	<p>perform his obligations under this agreement and/or</p> <p>(iv) There is any variation in the ownership/partnership of the management of the Contractor or its business without the prior approval in writing of the Bank of such variation.</p> <p>b) In case, the Contractor wants to terminate the agreement for any reason, it may do so after giving two months' prior notice, wherein he will be obliged to give the services in the entire notice period.</p> <p>c) The Tenderer or its agents / employees / drivers committing any breach of terms and conditions mentioned herein and / or rendering unsatisfactory services, in the opinion of the Bank shall render itself liable for summary termination of the agreement forthwith <b>without any notice</b> or any compensation in lieu thereof.</p> <p>15. <b>Indemnification:</b> The vendor shall indemnify the Bank for any loss or damage caused by the driver/s deployed by the contractor that occurs to persons or building or third party during the period of contract. In absence of the above, the Bank reserves the right to recover the cost of loss or damage suffered by the Bank from the pending bill of the contractor/ Security Deposit/ Performance Guarantee.</p>
---	--

ठेकेदार/प्रतिभूति जमा/निष्पादन गारंटी के लंबित बिल से बैंक को हुए नुकसान या क्षति की लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 16. **बीमा**

सफल निविदाकर्ता एक वर्ष के लिए संविदा मूल्य के लिए "सभी प्रकार की जोखिम नीति" लेगा जिसका नवीनीकरण किया जा सकेगा यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीनीकरण किया जाता है। निविदाकर्ता संविदा की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। यदि निविदाकर्ता इस प्रकार की पॉलिसियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक के पास निविदाकर्ता के बिल से नुकसान या क्षति की लागत की वसूली का अधिकार सुरक्षित है।

#### 17. **प्रचार**

बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में प्रचार, प्रार्थना या लुभाने या प्रलोभन देने का प्रयास करना भारतीय कानूनों के तहत एक अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. यदि निविदाकर्ता द्वारा संलग्न कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज या विवरण गलत/फर्जी/फर्जी, छेड़छाड़

#### 16. **Insurance**

The successful tenderer shall take "all risk policy" for the contract value for one-year renewable thereafter if the contract is renewed by the Bank. The Tenderer shall indemnify the Bank for any loss or damage that occurs to persons or building or third party during the period of contract. If the Tenderer does not provide these policies, the Bank reserves the right to recover the cost of loss or damage from the bill of the Tenderer.

#### 17. **Canvassing**

Canvassing, soliciting or endeavouring to entice or inducement in any form by any person with a view to influencing acceptance of a bid shall be an offence under Laws of India. Such action shall result in the rejection of bid, in addition to other punitive measures.

18. If any certificate/documents enclosed or details furnished by the Tenderer are found to be incorrect/fake/bogus tampered with or information not disclosed, the tenderer shall be debarred and shall not be awarded any future work in Reserve Bank of India. Joint ventures or partnership firms or any other nature of firms in which the contractor is a party shall also not be awarded any work. The tenderer in such event

किया हुआ या जिसमें जानकारी का खुलासा नहीं किया गया हो, तो निविदाकर्ता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक में भविष्य में किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्म या फर्मों की कोई अन्य प्रकृति जिसमें ठेकेदार एक पार्टि है, को भी कोई काम नहीं दिया जाएगा। इस तरह की घटना में निविदाकर्ता को भी नकारात्मक सूची में रखा जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य को निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास ठेकेदार/निविदाकर्ता, उसके सहयोगियों और संस्थाओं को बैंक में कोई भी निविदा प्रदान से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक इस निविदा के तहत निविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने वाले ठेकेदार/निविदाकार को किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में कोई भी कार्य प्रदान करने के लिए तीन साल की अवधि के लिए वंचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ठेकेदार/निविदाकार को ठेकेदार को विवर्जित करने से पहले 10 दिनों का नोटिस जारी करेगा और ठेकेदार/निविदाकर्ता द्वारा इस तरह के नोटिस के लिए दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. निविदा दस्तावेज इस करार का अभिन्न अंग होगा।

shall also be liable to be placed in negative list and shall be disqualified from participating in any tender floated by the Bank for a period of three years. In the event of failure to execute the work after award of the work, the Bank reserves the right to debar the contractor/tenderer ,its associates and entities in which it is interested from award of any contract in the Bank. The Bank also reserves its right to debar the contractor/tenderer who fails to discharge the contractual obligation under this contract, from participating in any tender or from award of any work in the Bank for a period of three years. The Bank shall issue a 10 days' notice to the contractor/tenderer before debarring the contractor and consider reply, if any, given by the Contractor/Tenderer to such notice. The decision of the Regional Director shall be final and binding in this regard.

19. The tender document shall form part and parcel of this agreement.

<p>20. इस करार का हिंदी संस्करण केवल तत्काल संदर्भ के लिए है। इस करार के किसी भी खंड की व्याख्या के संदर्भ से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह / अंतर के मामले में, इस करार का अंग्रेजी संस्करण इसके लिए मान्य होगा।</p> <p>इसके साक्ष्य में उपर्युक्त पार्टियों ने इस लिखित करार पर इसमें ऊपर लिखे दिनांक और दिन को हस्ताक्षर किए गए।</p> <p>अनुसूची – क (वाहनों की दर सूची)</p> <p>ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द</p> <p>निम्नलिखित की उपस्थिति में</p> <p>1.</p> <p>बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द</p> <p>श्री कप्तान आर एस बंगारी</p> <p>सहायक महाप्रबन्धक , विधिवत प्राधिकृत अधिकारी ने</p> <p>निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए</p>	<p>20. Hindi Version of this Agreement is for ready reference only. In case of any doubt/difference arising with reference to the interpretation of any clause of this agreement, English version of this agreement shall prevail for the same.</p> <p>IN WITNESS WHERE OF the parties herein above put their signature here to the day and year herein written above.</p> <p>Schedule-A (Rate list of Vehicles)</p> <p>Signed and delivered by the Contractor</p> <p>In the presence of</p> <p>1.</p> <p>Signed and delivered by the Bank</p> <p>Sh. Capt. R.S.Bangari Assistant General Manager, Duly authorized official</p> <p>In the presence of</p>
--	---

1.	1.
----	----